

✓?; क; -II

2. I jdkjh dEi uh I s I Ecflkr fu'i knu I eh{kk

2-1 ; ॥i ho i kstDVt dkj i kjsku fyfeVM ds dk; bkyki kdh I eh{kk

dk; dkjh I kjkak

çLrkouk

यूपी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य सामान्य व सरकारी संविदाकार के रूप में कार्य करना, कार्यों हेतु निविदाएँ प्रस्तुत करना तथा हर प्रकृति का निर्माण कार्य करना था। कम्पनी ने मार्च 2013 तक के गत छ: वर्षों में निविदाओं में भाग नहीं लिया तथा मुख्यतः विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त लागत पर सेन्टेज के आधार पर निक्षेप कार्यों के सम्पादन में कार्यरत थी।

॥Lrj 2-1 , ॥2-6॥

dk; kd dk | Ei knu

गत छ: वर्ष (2007–08 से 2012–13) की अवधि के दौरान, कम्पनी ने कुल उपलब्ध ₹ 5,143.40 करोड़ के कार्यों में से ₹ 3,581.21 करोड़ (69.63 प्रतिशत) के कार्यों को सम्पादित किया। 92 प्रतिशत पूर्ण कार्यों का सम्पादन उप-ठेकेदार को सम्मिश्रित दरों पर कार्यादेश निर्गत कर के किया गया जबकि आठ प्रतिशत कार्य विभागीय पद्धति पर सम्पादित किये गये। वर्ष 2011–12 तक की पाँच वर्षों की अवधि में, कम्पनी ने अधिकांश प्रकरणों में, वास्तुविदों की नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग से नहीं की थी। कम्पनी ने उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पर सेवाकर एवं वास्तुविद् शुल्क अनुमन्य कर तथा दोहरावपूर्ण प्रकृति के कार्यों पर भी 0.25 प्रतिशत से अधिक शुल्क अनुमन्य कर वास्तुविदों को ₹ 93.20 लाख का अधिक भुगतान किया।

॥Lrj 2-7 | s 2-12 , ॥2-16॥

हमारे द्वारा नमूना जाँचे गये 18 कार्यों में, सम्बन्धित समयावधि में सम्बन्धित जिले में लागू उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरों से अधिक दरें अन्तिमीकृत करने के कारण, कम्पनी ने उप-ठेकेदारों को ₹ 6.13 करोड़ का अधिक भुगतान किया। इसके अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने के कारण उप-ठेकेदारों को ₹ 1.74 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। इन 18 कार्यों में कम्पनी ने भी ग्राहकों से ₹ 0.99 करोड़ अधिक सेन्टेज वसूला।

॥Lrj 2-17 , ॥2-18॥

इण्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की हमारी नमूना जाँच में देखा गया कि इन कार्यों को सम्पादित कर रहे 17 उप-ठेकेदारों को ₹ 22.60 करोड़ के अनेक ब्याज मुक्त अग्रिम बिना कार्यों की माप किये तथा बिना पूर्व अग्रिमों का समायोजन किये, अवमुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त अग्रिमों के सापेक्ष कोई बैंक गारण्टी भी नहीं ली गयी थी।

॥Lrj 2-19॥

vdqky Je"kdRk fu; kstu

अधीक्षण, अधिशासी एवं सहायक अभियंताओं की वास्तव में उपलब्ध श्रमशक्ति स्वीकृत पदों की तुलना में कहीं अधिक थी। इकाइयों/अंचलों की संख्या के वृद्धि तथा अधिकांश कार्यों का उप-ठेके पर सम्पादन किये जाने को ध्यान में रखते हुए श्रमशक्ति आवश्यकता का कोई आंकलन नहीं किया गया था।

(i Lrj 2-25॥

folkt; i dluku

कम्पनी ने निवेश योग्य अधिशेष धन का आंकलन करने हेतु तथा अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु किसी प्रणाली का सृजन नहीं किया है। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली फ्लैकर्सी सुविधा न लेने के कारण कम्पनी ने 2009–10 से 2011–12 की अवधि के दौरान ₹ 67.17 लाख के ब्याज की हानि वहन की। अर्जित ब्याज के विवरण विभागवार / कार्यवार नहीं रखे गये थे।

¶Lrj 2-29] 2-30 , 012-31½

2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान पूर्ण हुये 180 कार्यों के प्रकरण में, कम्पनी ने कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय हेतु ₹ 112.12 करोड़ प्राप्त किये जबकि इन कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 114.93 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जिसके लिए ग्राहक विभागों से दावा भी नहीं किया गया तथा उसे अपने सेन्टेज से वहन किया गया, जिससे स्वयं की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

¶Lrj 2-32½

कम्पनी ने मूल अभिलेखों जैसे कार्य रजिस्टर, कार्य समाप्ति उपरांत सामग्री उपभोग विवरण पत्र एवं माप पुस्तिकाओं की अनुक्रमाणिका का रखरखाव नहीं किया। आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियाँ अप्रभावी व अपर्याप्त पार्यों गयी।

¶Lrj 2-39 , 012-40½

CLRkkouk

2.1 यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड¹ (कम्पनी), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है। कम्पनी का प्रशासकीय नियंत्रण सिंचाई विभाग (आईडी), उत्तर प्रदेश शासन (जीओयूपी) के अधीन है। जीओयूपी द्वारा कम्पनी को उछले व गहरे ट्यूबवेलों के निर्माण व पुनर्निर्माण, हाइड्रोलॉजिकल संरचनाओं के निर्माण, सिंचाई व जल निकासी से सम्बंधित कार्यों तथा भवनों के निर्माण हेतु राजकीय कार्यदायी/निर्माण संस्था नियुक्त किया गया (जुलाई 1999 एवं जून 2006)।

कम्पनी के मेमोरेण्डम ॲफ एसोसिएशन के अनुसार उसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:—

- नलकूपों व लघु सिंचाई से सम्बंधित अन्य परियोजनाओं अथवा उपक्रमों का अन्वेषण, प्रोत्साहन, सुधार, स्थापना, सम्पादन, संस्थापन, प्रबन्धन तथा संचालन करना एवं उत्तर प्रदेश राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं का प्रोत्साहन व विकास में वृद्धि करना।
- प्रत्यक्ष सिंचाई हेतु नए नलकूपों की स्थापना एवं उनके जल वितरण तंत्र व पहुँच मार्गों का निर्माण करना तथा उपलब्ध या भविष्य में सृजित किये जाने वाले नहर तंत्रों में जलापूर्ति वृद्धि करना।
- सामान्य एवं सरकारी संविदाकार का व्यवसाय करना, सामान्य संविदा व्यवसाय का सम्पादन व संचालन करना, निविदाएं प्रस्तुत करना तथा समस्त प्रकार के भवन, निर्माण, उत्पादन, सर्वेक्षण, आपूर्ति, अभिकल्पना, संवृद्धि, मरम्मत, पुनर्निर्माण, प्रबन्धन, प्रशासन व पर्यवेक्षण सम्बन्धित कार्य करना एवं समस्त प्रकार के निर्माण कार्य करना।

2012–13 तक के गत छ: वर्षों के दौरान, कम्पनी ने मुख्यतः राज्य सरकार के विभागों एवं संस्थाओं द्वारा लागत पर सेन्टेज के आधार पर प्रदान किये गये निक्षेप कार्यों का सम्पादन किया।

¹ कम्पनी को मई 1976 में मूलतः उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था एवं तत्पश्चात् अप्रैल 2001 में यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड के रूप में पुनः नामकरण किया गया।

2.1.1 कम्पनी का प्रबन्धन एक निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें जीओयूपी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक को शामिल करते हुए सात निदेशक हैं। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यपालक है जो मुख्यालय पर तीन महाप्रबन्धकों, एक वित्तीय सलाहकार—सह—मुख्य लेखाधिकारी एवं एक कम्पनी सचिव की सहायता से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है। कम्पनी में 31 इकाइयों² हैं, जिनका मुखिया परियोजना अधिकारी होता है। कम्पनी सात अंचलों³ में विभाजित है, प्रत्येक अंचल एक महाप्रबन्धक द्वारा पर्यवेक्षित है। संगठनात्मक ढांचा तथा अंचलवार इकाइयों का विभाजन क्रमशः ijff k'V 7 , 018 में प्रदर्शित है।

कम्पनी की गतिविधियों की पिछली समीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश शासन, वर्ष 2001–02 में सम्मिलित की गयी थी, जिसपर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा आंशिक रूप से चर्चा की गयी है (दिसम्बर 2013)।

यूक्ति विवरण

2.2 वर्तमान निष्पादन समीक्षा नवम्बर 2012 से मार्च 2013 के दौरान, कम्पनी के 2007–08 से 2012–13 तक के छः वर्षों की अवधि की गतिविधियों को आच्छादित करते हुए सम्पन्न की गयी थी। हमने मुख्यालय तथा सात अंचलों की 31 इकाइयों में से 11 इकाइयों⁴, जिनका चयन इकाइयों द्वारा किये गये कार्यों के मूल्य के आधार पर किया गया था, के अभिलेखों की जाँच की।

इन 11 इकाइयों में, 2011–12 तक के पाँच वर्षों के दौरान⁵ ₹ 743.60 करोड़ के 2,725 कार्य पूर्ण किये गये तथा ₹ 1,133.10 करोड़ के 1,362 कार्य 31 मार्च 2012 को प्रगतिगत थे। नमूना जाँच हेतु लेख परीक्षा ने ₹ 278.83 करोड़ के 1,319 पूर्ण कार्यों तथा ₹ 156.02 करोड़ के 63 प्रगतिगत कार्यों का चयन किया।

अपनायी गयी पद्धति में, 'इन्ट्री कॉन्फ्रेन्स' में उच्च प्रबंधन को लेखा परीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराना, मुख्यालय एवं चयनित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के कार्मिकों से संवाद स्थापित करना, लेखा परीक्षा कसौटियों के सन्दर्भ में आकड़ों का विश्लेषण करना, लेखा परीक्षा आपत्तियों को उठाना, प्रबन्धन के साथ लेखा परीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करना तथा प्रबन्धन/सरकार की टिप्पणियों हेतु ड्राफ्ट निष्पादन समीक्षा को निर्गत करना सम्मिलित था।

हमने 17 नवम्बर 2012 को आयोजित 'इन्ट्री कॉन्फ्रेन्स' में प्रबन्धन को लेखा परीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया। सरकार⁶ व प्रबन्धन के साथ 13 अगस्त 2013 को 'एकिजट कॉन्फ्रेन्स' आहूत की गयी। हमारे प्रेक्षणों पर प्रबन्धन के उत्तर सितम्बर 2013 में प्राप्त हुए तथा निष्पादन समीक्षा के अन्तिमीकरण में उनको ध्यान में रखा गया है। सरकार ने प्रबन्धन की टिप्पणियों को अग्रसारित (जनवरी 2014) किया।

² 29 इकाइयाँ राज्य के अन्दर, एक इकाई रूड़की (उत्तराखण्ड) तथा एक इकाई भुवनेश्वर (ओड़िशा) में।

³ अंचल 1—इलाहाबाद, अंचल 2—बरेली, अंचल 3—फैजाबाद, अंचल 4—आगरा, अंचल 5—लखनऊ, अंचल 6—ओखला एवं अंचल 7—लखनऊ।

⁴ इकाई-1 सीतापुर, इकाई-2 इलाहाबाद, इकाई-3 वाराणसी, इकाई-4 आगरा, इकाई-5 गाजियाबाद, इकाई-8 लखनऊ, इकाई-11 फैजाबाद, इकाई-14 लखनऊ, इकाई-29 गोरखपुर, इकाई-36 नोयडा एवं इकाई-37 रुड़की।

⁵ वर्ष 2012–13 हेतु कार्यों के लागत पत्र तैयार नहीं थे (सितम्बर 2013) अतः वर्ष 2012–13 तक पूर्ण किये गये कार्यों व मार्च 2013 तक प्रगतिगत कार्यों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकी। यद्यपि जहाँ कहीं भी मार्च 2013 तक के आंकड़े उपलब्ध थे उनको समाहित किया गया है। लागत पत्र वह प्रपत्र है जो कम्पनी द्वारा सम्पादित विभिन्न कार्यों पर किये गये व्यय मदवार दर्शाता है।

⁶ सरकार का प्रतिनिधित्व विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, जीओयूपी तथा कम्पनी प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध निदेशक व महाप्रबन्धकों द्वारा किया गया।

यहां इनकाल दसमान;

2.3 निष्पादन समीक्षा के उद्देश्य यह आंकलित करने थे कि क्या:

- कार्यों का सम्पादन मितव्ययितापूर्ण, दक्षतापूर्ण व प्रभावपूर्ण रूप से किया गया;
- सामग्री की खरीद मितव्ययी व प्रभावी तरीके से की गई;
- श्रमशक्ति का प्रतिनिधायन प्रभावी एवं मैनुअल/शासन के नियमों/आदेशों के अनुरूप था;
- कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन प्रभावी था एवं निधि का प्रवाह यथासमय था तथा उसका इष्टतम उपयोग किया गया था; एवं
- प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली व अनुश्रवण उपस्थित थे।

यहां इनकाल दह दह लक्ष्यः

2.4 लेखा परीक्षा के उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी गयी लेखा परीक्षा कसौटियाँ निम्न थीं:

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के शेड्यूल ऑफ रेट्स में नियत विशिष्टियाँ (स्पैसिफिकेशन्स);
- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का वर्किंग मैनुअल व जीओयूपी की वित्तीय हस्त पुस्तिका (एफएचबी) खण्ड-VI के प्रावधान;
- कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जीओयूपी व प्रबन्धन द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- सामग्री के क्रय हेतु क्रय आदेशों की नियम व शर्तें; एवं
- ग्राहकों अर्थात् जीओयूपी के विभागों/संस्थाओं के साथ सम्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नियम व शर्तें।

यहां इनकाल इक्कीस

2.5 निष्पादन समीक्षा ने कार्यों के सम्पादन, वास्तुविदों की नियुक्ति, सामग्री की खरीद, श्रमशक्ति नियोजन, वित्तीय प्रबन्धन एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियों को परिलक्षित किया। लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर अग्रेत्तर प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

दक्षता दक्षता एक्स्प्रेस

2.6 कम्पनी ने अपने निगमन के 37 वर्षों के उपरान्त भी स्वयं का कोई वर्किंग मैनुअल तैयार नहीं किया है तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (राज्य सरकार का एक उपक्रम) के मैनुअल को अंगीकृत किया है। इस निष्पादन समीक्षा में प्रयुक्त मैनुअल उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) के मैनुअल को सन्दर्भित करता है। कम्पनी द्वारा 2012–13 तक के छ: वर्षों की अवधि के दौरान, निविदाओं में भाग नहीं लिया गया जबकि निविदा में भाग लेना कम्पनी का एक मुख्य उद्देश्य है।

कम्पनी को सभी कार्य विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं $\frac{1}{4}$ फैफ क्वार्टर द्वारा निक्षेप कार्यों के रूप में सीधे प्रदान किये गये थे, जिनका सम्पादन कम्पनी ने 'पीस रेट कर्मियों⁷ (पीआरडब्ल्यू)/उप-ठेकेदारों⁸ के माध्यम से किया। कार्यों के सम्पादन में कार्यों के प्राक्कलन, ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार करना व उनकी स्वीकृति समिलित होती है।

⁷ मैनुअल का प्रस्तर 4 पीआरडब्ल्यू को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो आवश्यक श्रमिकों की व्यवस्था करता है तथा कार्य को उत्पादकता के आधार पर सम्पादित करता है, जबकि सामग्री व यंत्र कम्पनी द्वारा उसे उपलब्ध कराये जाते हैं। कार्यों को सब-लेट करने की दशा में, सामग्री व श्रमिक दोनों की व्यवस्था उप-ठेकेदार द्वारा की जाती है।

⁸ ईएसआई चिकित्सालय, सेक्टर-24, नोएडा में फेस लिपिटिंग/इंटीरियर के कार्य को छोड़कर जिसे कम्पनी ने निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात बैक-टू-बैक आधार पर उप-ठेकेदार को प्रदान किया।

सम्पादित कार्यों की स्थिति:

2.7 2007–08 से 2012–13 के दौरान सम्पादित कार्यों की स्थिति निम्न है:

| kj .kh | ;k 2-1

fooj.k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	(₹) djkM+ek dy ;kx
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कार्य ⁹	603.08	624.93	497.82	1225.84	1290.62	1269.65	-
वर्ष के दौरान प्राप्त कार्य	392.57	419.17	1581.77	1064.38	581.77	500.66	4540.32
कुल उपलब्ध कार्य ¹⁰	995.65	1044.10	2079.59	2290.22	1872.39	1770.31	-
वर्ष के दौरान सम्पादित कार्य	354.13	528.43	733.99	912.70	586.61	465.35	3581.21
वर्ष के अन्त में उपलब्ध कार्य	641.52	515.67	1345.60	1377.52	1285.78	1304.96	-
कुल उपलब्ध कार्यों के सापेक्ष कार्यों के पूर्ण होने की प्रतिशतता	35.57	50.61	35.29	39.85	31.33	26.29	-

प्रातः कम्पनी की प्रगति आख्या व सम्बन्धित वर्ष के वित्तीय विवरण

- कम्पनी की प्रगति आख्या मात्र कार्यों की वित्तीय प्रगति परिलक्षित करती थी तथा भौतिक प्राप्ति को परिलक्षित नहीं करती थी। प्रगति आख्या में कार्यों की संख्या के अभाव में, कार्यों की भौतिक प्राप्ति का कोई अनुश्रवण नहीं था।
- 2012–13 तक के छः वर्षों के दौरान, कम्पनी ने ₹ 128.07 करोड़¹¹ के कार्य सिंचाई विभाग (आईडी) से एवं ₹ 4,412.25 करोड़ के कार्य अन्य विभागों¹² से प्राप्त किये। गत छः वर्षों में कम्पनी द्वारा प्राप्त कुल कार्यों में आईडी से प्राप्त कुल कार्यों का प्रतिशत मात्र 2.82 प्रतिशत था।
- कम्पनी द्वारा 2007–08 में प्राप्त कुल कार्य ₹ 392.57 करोड़ के थे जो 2009–10 में बढ़कर ₹ 1,581.77 करोड़ के हो गये थे, किन्तु 2012–13 में घटकर ₹ 500.66 करोड़ रह गये। निष्पादन समीक्षा की अवधि में कम्पनी ने सीधे सरकारी विभागों से निक्षेप कार्य प्राप्त किये तथा कार्य प्राप्त करने हेतु किसी निविदा में भाग नहीं लिया। इस प्रकार, भविष्य में पर्याप्त निक्षेप कार्य प्राप्त न होने की दशा में, कम्पनी का अस्तित्व अनिश्चित हो सकता है। निविदाओं¹³ में भाग न लेने हेतु कम्पनी ने कोई कारण नहीं दिया।

हमने, कम्पनी को सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में अनियमिततायें देखीं जिनपर अग्रेतर प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:-

okLfonk dh fu; Pr

2.8 कम्पनी का स्वयं का कोई वास्तुविदीय, अभिकल्पना व प्राक्कलन प्रभाग नहीं है। कार्यों की वास्तुविदीय एवं संरचनात्मक ड्राइंग व डिजाइन एवं कार्यों¹⁴ का प्राक्कलन बाह्य वास्तुविदों द्वारा तैयार कराया गया था। वास्तुविदों की नियुक्ति व उनके शुल्क के भुगतान में पायी गयी अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गयी है:

प्रतिस्पृष्ठात्मक बिडिंग के बिना वास्तुविदों की नियुक्ति

2.9 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) का आदेश (फरवरी 1997), जीओयूपी के निक्षेप कार्यों हेतु निर्माण कार्य की लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज नियत करता है जिसमें 1.5 प्रतिशत कार्यों की डिजाइन/ड्राइंग हेतु सम्मिलित होता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग

⁹ गत वर्ष का अधिशेष व वर्तमान वर्ष का प्रारम्भिक शेष कुछ कार्यों की पुनरीक्षित लागत को सम्मिलित करने के कारण भिन्न हो सकता है।

¹⁰ सम्बन्धित वर्षों के कम्पनी के वित्तीय विवरण के अनुसार सिवाय वर्ष 2012–13 के जहाँ सम्पादित कार्यों का मूल्य कम्पनी की प्रगति आख्या के अनुसार है क्योंकि वर्ष 2012–13 के वित्तीय विवरण कम्पनी द्वारा अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं।

¹¹ कम्पनी ने ₹ 12.24 करोड़, ₹ 96.93 करोड़ ₹ 17.05 करोड़ व ₹ 1.85 करोड़ के कार्य आईडी से क्रमशः वर्ष 2008–09, 2010–11, 2011–12 व 2012–13 में प्राप्त किये। 2007–08 व 2009–10 में आईडी से कोई कार्य प्राप्त नहीं हुआ।

¹² स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, राजस्व, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, पशुपालन, गृह, खेल एवं युवा कल्याण, यातायात, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, पंचायती राज, कृषि, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण व तकनीकी शिक्षा।

¹³ वे कार्य जो निविदा आमन्त्रित करने के उपरान्त सभसे निम्न बोलीदाता को प्रदान किये जाते हैं।

¹⁴ सिंचाई विभाग से प्राप्त कार्यों को छोड़कर।

की मार्गदर्शिका (नवम्बर 2002) के अनुसार, वास्तुविदों का चयन पारदर्शिता से प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग द्वारा किया जाना चाहिये। कम्पनी ने पूर्वयोग्य वास्तुविदों के एमपैनलमेन्ट हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित (जून 2009) किये। आमंत्रित ईओआई की सूचना में यह प्रदत्त था कि कम्पनी द्वारा वास्तुविदों को शुल्क का भुगतान, जितना कार्य विशेष हेतु तय हुआ हो, किया जायेगा।

dEi uhi us okLrfjona
dhi fu; fDr
i frLi /kRed fcIMx
fd; sfcuk dhi rFkk
mlga vf/kdre
vupU; "kYd Lohdr
fd; kA

हमने देखा कि कम्पनी ने 19 वास्तुविदों की नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग/बाजार सर्वेक्षण किये बिना की, जिनमें से 14 वास्तुविद् कम्पनी द्वारा एमपैनलड वास्तुविदों में भी सम्मिलित नहीं थे एवं वास्तुविद् शुल्क, कार्य की लागत का 1.5 प्रतिशत की अधिकतम अनुमन्य सीमा से स्वीकृत किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) की ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कार्यों हेतु वास्तुविदों की नियुक्ति बिडिंग के माध्यम से करना कठिन था।

हमने देखा कि बड़े कार्य जिनकी लागत ₹ 50 लाख से लेकर ₹ पाँच करोड़ तक थी, उनमें भी बिडिंग आमंत्रित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, इकाई-14 लखनऊ द्वारा सम्पादित चार कार्यों में, वास्तुविदों की नियुक्ति बाजार सर्वेक्षण द्वारा की गई थी जिसमें वास्तुविद् शुल्क की दर परियोजना की लागत के 1.09 प्रतिशत व 1.35 प्रतिशत के मध्य प्राप्त हुयी थी।

वास्तुविदों को अनुचित लाभ

2.10 कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने वास्तुविदों के शुल्क का निर्धारण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु निर्देशित किया (जनवरी 2008)।

यूपीआरएनएन में वास्तुविदों की नियुक्ति वास्तुविदीय कार्य (विस्तृत वास्तुविदीय ड्राइंग, विस्तृत संरचनात्मक ड्राइंग, विस्तृत सैनेट्री/वैद्युत ड्राइंग एवं विस्तृत प्राक्कलन) हेतु, कार्य की लागत का 1.5 प्रतिशत की दर पर तथा उनके दोहरावपूर्ण उपयोग हेतु कार्य की लागत का 0.25 प्रतिशत की दर पर की जाती है।

हमने देखा कि कम्पनी ने, 43 प्रकरणों में जहाँ वास्तुविदों ने एक समान ड्राइंग व डिजाइन बनाये थे, आठ वास्तुविदों¹⁵ को दोहरावपूर्ण ड्राइंग व डिजाइन पर लागू¹⁶ 0.25 प्रतिशत के बजाय परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप वास्तुविदों को ₹ 34.39 लाख का अधिक भुगतान एवं अनुचित लाभ दिया गया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि सभी प्राथमिक स्वारश्य केन्द्रों, बीज गोदामों, मॉडल विद्यालयों व तहसील भवनों इत्यादि के ड्राइंग व डिजाइन एक समान नहीं थे चूंकि मिट्टी के प्रकार व भार वहन क्षमता में विभिन्न स्थलों पर विविधताएं विद्यमान थीं। प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी कार्यों के ड्राइंग व डिजाइन समान थे तथा प्रत्येक इकाई के सिविल कार्य की लागत भी समान थी।

वास्तुविद को अधिक भुगतान

2.11 कम्पनी को भारत सरकार (जीओआई) की जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत इंटीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) तथा बेसिक सर्विसेज फार अर्बन पूअर (बीएसयूपी) परियोजनाओं के अन्तर्गत आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया था (दिसम्बर 2009)। जीओआई ने विस्तृत परियोजना आख्या (डीपीआर) तैयार करने हेतु आईएचएसडीपी परियोजना के लिये परियोजना की लागत का एक प्रतिशत एवं बीएसयूपी

¹⁵ डिजाइन सेंटर (₹ 11.52 लाख), आकृति कंसल्टेन्ट्स (₹ 0.99 लाख), राजीव कुमार एण्ड एसेसियेट्स (₹ 5.03 लाख), संजय कुमार मिश्रा (₹ 0.25 लाख), वंश डिजाइन एण्ड कंसल्टेन्ट्स (₹ 11.02 लाख), ग्लोबल क्रियेशन्स (₹ 0.83 लाख), एनवी कन्सल्टेन्ट्स (₹ 4.44 लाख) व वास्तु शिल्प आर्कटेक्ट्स (₹ 0.31 लाख)।

¹⁶ यूपीआरएनएन के मानकों एवं कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के आदेश दिनांक जनवरी 2008 के अनुसार।

परियोजना के लिये परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत अधिकतम वास्तुविद् शुल्क निर्धारित किया (नवम्बर 2008)।

okLrfon-dks
nks dltlnh;
i fj; lskukvle es
₹ 29.51 yk[k dk
vf/kd Hkrku
fd; k x; kA

dEi uh us "k/d ds
vfrfjDr I okdj dk
Hkrku fd; k] ftI ds
i fj. kkeLo: ik
₹ 29.30 yk[k dk
vf/kd Hkrku givka

हमने देखा कि कम्पनी की इकाई-2, इलाहाबाद ने छः प्रकरणों में वास्तुविद्¹⁷ को आईएचएसडीपी के लिए परियोजना की लागत का 1.5 प्रतिशत की दर से तथा बीएसयूपी के लिये परियोजना की लागत का 2.5 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप वास्तुविद् को ₹ 29.51 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि वास्तुविद् को अधिक भुगतान डीपीआर बनाने हेतु स्लम क्षेत्रों के सर्वेक्षण, जिसमें सड़कों, अपवाह, पाइप लाइनों एवं जलापूर्ति हेतु व्यवहार्यता आख्या बनाने का कार्य सम्मिलित था, के अतिरिक्त कार्य हेतु किया गया था। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़कों, अपवाह, पाइप लाइनों एवं जलापूर्ति हेतु व्यवहार्यता आख्या बनाने का कार्य वास्तुविदों के डीपीआर बनाने के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित था।

वास्तुविदों को सेवाकर का भुगतान

2.12 चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश (फरवरी 1997) निक्षेप कार्यों पर निर्माण की लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से, जिसमें 1.5 प्रतिशत ड्राइंग व डिजाइन बनाने हेतु सम्मिलित है, सेन्टेज नियत करता है अतः बाह्य वास्तुविदों को भुगतान किये जाने वाले शुल्क को परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत की नियत सीमा के अन्दर रखना चाहिये। जिन प्रकरणों में ग्राहक/कम्पनी वास्तुतिदों को भुगतान किया जाने वाला शुल्क निर्धारित करते हैं, उनमें शुल्क को उक्त सीमा से परिसीमित करना चाहिए।

हमने देखा की कम्पनी ने 85 प्रकरणों में परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत की नियत सीमा दर के ऊपर, लागू दरों से सेवाकर का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप वास्तुविदों को ₹ 29.30 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुये कहा (सितम्बर 2013) कि वास्तुविदों को हुए अधिक भुगतान की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

असम्पादित कार्यों हेतु भुगतान

2.13 कम्पनी ने ग्राम पंचायत सचिवालय (449 इकाईयाँ), स्वास्थ्य उपकेन्द्र (238 इकाईयाँ) आँगनबाड़ी (588 इकाईयाँ) एवं डॉ0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र (69 इकाईयाँ) के निर्माण के कार्यों को सम्पादित किया जिसमें विभिन्न स्थलों पर एक समान इकाईयों का निर्माण सम्मिलित था। इन कार्यों की प्रत्येक इकाई की स्वीकृत लागत क्रमशः ₹ 14.72 लाख, ₹ 8.19 लाख, ₹ 2.95 लाख तथा ₹ 16.39 लाख थी। कम्पनी ने इन कार्यों के लिए वास्तुविदों की नियुक्ति की तथा प्रत्येक कार्य की प्रथम इकाई की लागत पर 1.5 प्रतिशत की दर से एवं शेष इकाईयों के लिये 0.25 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान किया।

वास्तुविद्¹⁸ के कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न सम्मिलित हैं:

- प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण एवं विस्तृत डिजाइन तैयार करना;
- स्केच डिजाइन के आवश्यक ड्राइंग तैयार करना;
- समुचित कार्य सम्पादन हेतु वर्किंग ड्राइंग व विवरण तैयार करना;
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्ल्यूडी)/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के वर्तमान शेड्यूल ऑफ रेट्स (एसओआर) के आधार पर विस्तृत लागत प्राक्कलन तैयार करना;
- कार्य, अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार पूर्ण हो रहे हैं, यह सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर भवन/कार्यस्थल का निरीक्षण।

¹⁷ स्नो फाउन्डेशन कन्सल्टेन्ट्स।

¹⁸ जैसा कि एमपैनलमेन्ट हेतु वास्तुविदों से आमंत्रित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (26 जून 2009) में परिभाषित है।

इस सम्बन्ध में हमने निम्न अनियमितताएं देखीं:

- वास्तुविदों ने सभी महत्वपूर्ण कारकों, जैसे स्थल परिस्थितियाँ, मृदा परिस्थितियाँ, लेआउट प्लान इत्यादि जो कि स्थलानुसार भिन्न होते हैं, का संज्ञान लिये बिना प्रत्येक कार्य हेतु मात्र एक मॉडल ड्राइंग/डिजाइन तैयार किया एवं उसी मॉडल ड्राइंग/डिजाइन को उस कार्य की सभी इकाइयों हेतु प्रसारित किया।
- वास्तुविदों ने सम्बन्धित जिले के यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर के आधार पर प्रत्येक इकाई हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के बजाय लखनऊ जिले के एसओआर के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया एवं उस कार्य की सभी इकाईयों हेतु उसी प्राक्कलन को प्रसारित किया।
- वास्तुविदों ने प्रत्येक कार्य हेतु मात्र एक ड्राइंग/डिजाइन एवं प्राक्कलन तैयार किया परन्तु मात्र एक कार्य के शुल्क के भुगतान के बजाय सभी कार्यों के लिये शुल्क का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.97 लाख ½ fff क'V&10% का भुगतान असम्पादित कार्यों हेतु किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि ग्राम पंचायत संचिवालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, औंगनबाड़ी एवं डॉ० अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र के कार्यों में परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत जबकि उसी जिले में दोहरावपूर्ण ड्राइंग हेतु परियोजना लागत का 0.25 प्रतिशत वास्तुविद् शुल्क का भुगतान किया गया।

प्रबन्धन का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि वास्तुविद् द्वारा पृथक ड्राइंग व डिजाइन तैयार नहीं किये गये थे अतः उन्हें अन्य कार्यों हेतु कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था।

dk; kls I Ei knu e dfe; k

2.14 ड्राइंग/डिजाइन व प्राक्कलन के अनुमोदनोपरांत कम्पनी को कार्य का सम्पादन मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार करना होता है। कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में मैनुअल में नियत प्रक्रिया के उल्लंघन व अन्य कमियों की चर्चा नीचे की गयी है:

अनियमित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना

2.15 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) का मार्च 2006 का आदेश यह निर्दिष्ट करता है कि तकनीकी स्वीकृति¹⁹ (टीएस) प्रदान करने का अधिकार जीओयूपी के अभियंत्रण विभागों के अधिकारियों, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन), उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीएसकेएनएन), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (यूपीएवीपी) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) के कन्सट्रक्शन व डिजाइन सर्विसेज प्रभाग को प्राप्त है। यह पुनः प्रावधानित करता है कि वे निर्माण इकाईयाँ जिन्हें अधिकार प्राप्त नहीं हैं, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्ल्यूडी) से टीएस प्राप्त करेंगी। चूँकि कम्पनी को टीएस प्रदान करने का अधिकार नहीं है, अतः उसे अपने द्वारा सम्पादित किये जाने वाले सभी कार्यों हेतु यूपीपीडब्ल्यूडी से टीएस प्राप्त करनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में हमने निम्न कमियाँ पायीं:-

- जीओयूपी के आदेश का उल्लंघन करते हुये कम्पनी के अधिकारियों से ही टीएस प्राप्त की गयी (सिंचाई विभाग के कार्यों को छोड़कर)।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि निदेशक मण्डल द्वारा कम्पनी के अधिकारियों²⁰ को निर्धारित सीमा तक टीएस प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया था (दिसम्बर

¹⁹ मैनुअल (प्रस्तर 34 व 41) एवं जीओयूपी की वित्तीय हस्त पुस्तिका (प्रस्तर 318) निर्दिष्ट करते हैं कि प्रारम्भिक प्राक्कलन के आधार पर ग्राहकों से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। ग्राहकों से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर के सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जायेगा, जिसे तकनीकी स्वीकृति (टीएस) के रूप में जाना जाता है। टीएस इस तथ्य की गारंटी है कि प्रस्तावित कार्य संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ है, प्राक्कलन विशुद्ध रूप से संगणित है तथा पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित है।

²⁰ प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धकों व परियोजना अधिकारियों।

thvks i h ds vknk
ds mYyku ea
dEi uh }kj k
; ih hMCY; Mh I s
rdudhL Lohdf
ugha i klr dh x; h
FkA

2009)। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा स्वयं टीएस प्रदान करना जीओयूपी के आदेश का उल्लंघन है जिसमें टीएस प्रदत्त करने वाले प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

18 dk; k̄ ds foLr̄ i Ddyu | eorh vof/k es | Ecfu/kr ftys ds ; hi hMCY; Mh "M; y vKQ jyI ds vklkj i j r̄ k̄ ughfd; s x; s FKA

- 9 ज़िलों²¹ में सम्पादित 18 कार्यों का विस्तृत प्राक्कलन समर्वती अवधि में सम्बन्धित जिले के यूपीपीडब्ल्यूडी के शेड्यूल ॲफ रेट्स (एसओआर) के आधार पर तैयार नहीं किये गये थे। ऐसे ही एक प्रकरण में इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.74 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा की प्रस्तर 2.18 में चर्चित है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि चूंकि सम्बन्धित जिले के एसओआर अद्यतन नहीं किये गये थे तथा पुरानी दरों पर कार्यों का सम्पादन सम्भव नहीं था, अतः प्राक्कलन लखनऊ जिले के एसओआर के आधार पर तैयार किये गये थे। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाजार मूल्यों में किसी वृद्धि हेतु अभियंत्रिकी अभिमूल्यन स्वीकृत करने के पश्चात विस्तृत प्राक्कलन सम्बन्धित जिले के एसओआर के आधार पर ही तैयार किया जाना चाहिये था।

नियामित प्रक्रिया की अवहेलना

2.16 कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैनुअल में निम्न प्रावधान समाविष्ट हैं:

- कार्यों का सम्पादन कम्पनी के तकनीकी व अन्य स्टाफ द्वारा सीधे आवश्यक सामग्री का क्रय कर के तथा आवश्यक यंत्र व संयन्त्र की व्यवस्था कर के किया जाना है जबकि श्रमिकों की व्यवस्था पीस रेट कर्मियों (पीआरडब्ल्यू²²) के माध्यम से की जानी है (मैनुअल का प्रस्तर 2)।
- जहाँ तक संभव हो बड़े निजी ठेकेदारों को समाप्त करना, कम्पनी का एक मूल उद्देश्य है तथा इसके लिये उसे सामान्यतः कार्यों को उप-ठेकेदारों या ठेकेदारों को सब-लेट नहीं करना चाहिये (मैनुअल का प्रस्तर 20)।
- कुछ विशेष कारणों से यदि कार्य को ठेकेदार को सब-लेट करना अपरिहार्य माना जाता है तो ऐसा मात्र प्रबन्ध निदेशक (एमडी) के विशेष लिखित आदेशों के अधीन ही किया जा सकता है, जो ऐसा करने हेतु पूर्ण कारण अभिलिखित करेगा एवं आगामी निदेशक मण्डल (बीओडी) की बैठक में ऐसे समस्त कार्यों की सूची प्रस्तुत करेगा (मैनुअल का पैरा 21)।

हमने कम्पनी द्वारा कार्यों को सम्पादित करने में अपनायी गयी प्रक्रिया में निम्न कमियाँ पायीं:

- वर्ष 2011–12 तक के पाँच वर्षों²³ के दौरान ₹ 743.60 करोड़ के 2,725 कार्य पूर्ण किये गये जबकि 31 मार्च 2012 को ₹ 1,133.10 करोड़ के 1,362 कार्य प्रगतिगत थे। पूर्ण हुये कार्यों में ₹ 194.35 करोड़ मूल्य के मात्र आठ प्रतिशत पूर्ण कार्य (222) कम्पनी के तकनीकी व अन्य स्टाफ द्वारा सीधे सम्पादित किये गये। ₹ 549.25 करोड़ के शेष 92 प्रतिशत कार्य (2,503 कार्य) उप-ठेकेदारों को सम्मिश्रित दरों पर कार्यादेश निर्गत कर के सम्पादित किये गये अर्थात् सामग्री का क्रय व श्रमिक की व्यवस्था उसी उप-ठेकेदार द्वारा की गयी।

इसी प्रकार, 31 मार्च 2012 को प्रगतिगत कार्यों के प्रकरण में, ₹ 284.04 करोड़ मूल्य के मात्र 72 प्रतिशत कार्य (82 कार्य) सीधे कम्पनी के तकनीकी व अन्य स्टाफ द्वारा किये जा रहे थे। ₹ 849.06 मूल्य के शेष 94 प्रतिशत कार्य (1,280 कार्य)

²¹ आगरा, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा, सीतापुर व वाराणसी।

²² मैनुअल का प्रस्तर 4 पीआरडब्ल्यू को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो आवश्यक श्रमिकों की व्यवस्था करता है तथा कार्य को उत्पादकता के आधार पर सम्पादित करता है, जबकि सामग्री व यंत्र कम्पनी द्वारा उसे उपलब्ध कराये जाते हैं। कार्यों को सब-लेट करने की दशा में, सामग्री व श्रमिक दोनों की व्यवस्था उप-ठेकेदार द्वारा की जाती है।

²³ वर्ष 2012–13 हेतु लागत पत्र तैयार नहीं किये गये थे (सितम्बर 2013) अतः वर्ष 2012–13 के दौरान पूर्ण किये गये कार्यों तथा 31 मार्च 2013 को प्रगतिगत कार्यों के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका।

उप-ठेकेदारों को सम्मिश्रित दरों पर कार्यादेश निर्गत कर के सम्पादित किये जा रहे थे, जिसमें सामग्री का क्रय एवं श्रमिक की व्यवस्था उसी उप-ठेकेदार द्वारा की जा रही थी।

- 2,503 पूर्ण कार्यों एवं 1,280 प्रगतिगत कार्यों (31 मार्च 2012 को) में ₹ 10 लाख की अनिवार्य सीमा, जो प्रत्येक इकाई के परियोजना प्रबन्धक की स्वीकृत सीमा है, को कम करने हेतु प्रत्येक कार्य को कई कार्यादेशों में विभाजित किया गया।
- कम्पनी द्वारा यद्यपि कार्यों का एक बड़ा अंश, उप-ठेकेदारों को सब-लेट कर के सम्पादित किया गया था, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक के लिखित आदेश प्राप्त नहीं किये गये थे तथा उक्त मामलों को निदेशक मण्डल के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि चूँकि कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटी प्रकृति के थे अतः उन्हे पीआरडब्ल्यू के माध्यम से सम्मिश्रित दरों पर सम्पादित किया गया था। पीआरडब्ल्यू को अगला कार्यादेश कार्य के सन्तोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही जारी किया गया था। उसने पुनः कहा कि कार्यों को सब-लेट नहीं किया गया था अतः एमडी/बीओडी की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, मैनुअल के अनुसार कार्यों का सम्पादन कम्पनी द्वारा विभागीय पद्धति से स्वयं सामग्री क्रय कर के व पीआरडब्ल्यू के माध्यम से श्रमिकों की व्यवस्था कर के, किया जाना था। इन सभी कार्यों का सम्पादन सम्मिश्रित दरों पर किया गया था अर्थात् सामग्री व श्रम दोनों की व्यवस्था पीआरडब्ल्यू द्वारा की गयी थी। चूँकि मैनुअल में सम्मिश्रित दरों पर कार्यों को सम्पादित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः एमडी/बीओडी के अनुमोदन के बिना कार्यों का इस विधि से सम्पादन मैनुअल के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त एक ही पीआरडब्ल्यू को एक ही दिन विभिन्न कार्यादेश जारी किये गये (कुछ प्रकरण प्रस्तर 2.19 में दिये गये हैं) जो यह पुष्टि करता है कि पूर्व में जारी कार्यादेश के पूर्ण होने के पूर्व ही अगला कार्यादेश जारी किया गया था।

उप-ठेकेदारों को अधिक भुगतान

2.17 मैनुअल (प्रस्तर 96 व 97) यह प्राविधानित करता है कि पीआरडब्ल्यू को कार्य श्रमिक दरों पर, प्रत्येक इकाई के परियोजना प्रबन्धक के नेतृत्व में गठित क्रय समिति (पीसी) द्वारा विस्तृत बाजार सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रदान किया जायेगा। मैनुअल (प्रस्तर 40) पुनः यह प्रावधानित करता है चूँकि यह माना जाता है कि कम्पनी द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल ऑफ रेट्स (यूपीपीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी एसओआर) से पाँच प्रतिशत सस्ती होगी अतः प्राक्कलन बनाते समय यूपीपीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी एसओआर के आधार पर प्राप्त मूल्य में से पाँच प्रतिशत घटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) का आदेश²⁴ (फरवरी 1997) भी यह प्रावधानित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों पर सेन्टेज, कार्य की लागत में से पाँच प्रतिशत घटाने के उपरान्त 12.5 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया जायेगा। इस प्रकार उप-ठेकेदारों को प्रदान किये जाने वाले कार्यों की दरें यूपीपीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी एसओआर में प्रदत्त दरों के 95 प्रतिशत तक सीमित की जानी चाहिये थी।

हमने 17 कार्यों की नमूना जाँच की और देखा कि पीसी द्वारा अन्तिमीकृत दरें सम्बन्धित जिले में उस समय/उसके बाद की अवधि में लागू यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर में प्रदत्त दरों के 95 प्रतिशत की सीमा की तुलना में 0.22 प्रतिशत से 15.95 प्रतिशत तक अधिक निर्धारित की गयी थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.13 करोड़ ½ fjf k'V&11½ का अधिक व्यय हुआ। यहाँ पर वर्णित प्रकरण निष्केप कार्य हैं जिनपर कम्पनी को व्यय की गयी धनराशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज अनुमन्य होता है। इस प्रकार ₹ 6.13 करोड़ की उच्च

mi &Bdnlkj k dks
vupl; nj] I Ecfl/kr
ftys dh
; ih hMCY; Mh
, l vlvkj ea i nRr
nj k dh 95 i fr kr
dh I hek I s 0-22
i fr kr I s 15-95
i fr kr vf/kd Fk
ft I ds OyLo: lk
₹ 6-13 dj kM+dk
vf/kd 0; gvkA

²⁴ संख्या—ए—२—८७/१०—९७/१७(४)—७५ दिनांक 27 फरवरी 1997।

लागत पर कम्पनी को ₹ 0.77 करोड़²⁵ का अधिक सेन्टेज अनुमन्य किया गया जिसके कारण ग्राहक विभागों/संस्थाओं को हानि हुई। बढ़े हुए प्राक्कलन के कारण अधिक सेन्टेज का प्रयोग अनियमित रूप से सेन्टेज से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया था, जैसा कि प्रस्तर 2.32 में चर्चित है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि कार्यों को स्वीकृत लागत की सीमा में बाजार सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित दरों पर सम्पादित किया गया था। चूंकि दरों का अनुमोदन बाजार सर्वेक्षण के आधार किया गया था अतः विभिन्न मर्दों के दर प्राक्कलन में प्रदत्त दरों से भिन्न हो सकते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा अनुमोदित दरों सम्बन्धित जिले में उस समय/उसके बाद की अवधि में लागू यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर की दरों से अधिक थे। इसके अतिरिक्त दरों का कोई विश्लेषण भी नहीं किया गया था तथा यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर से अधिक दरों पर कार्यों को प्रदान करने हेतु कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया था।

प्राक्कलन का गलत तैयार किया जाना

pfid vuppl; nj
bykgkckn ftys ds
; hi hMCY; Mh
, l vkskj d^cctk;]
y[kuÅ ds, l vkskj
ij vklkfj r Fkta vr%
dEi uh us
mi &Bdnkjka dks
₹ 1-74 dj kM+dk
vf/kd Hkrku fd; KA

2.18 2009–10 से 2011–12 के दौरान कम्पनी ने इलाहाबाद जिले में 106 ग्रामीण सचिवालय (स्वीकृत लागत: ₹ 14.72 लाख प्रति) के कार्य को उप-ठेकेदारों को, दरों को बाजार सर्वेक्षण के आधार पर अन्तिमीकृत करने के बजाय प्राक्कलन में प्रदत्त दरों के 95 प्रतिशत पर प्रदान किया। ये प्राक्कलन लखनऊ के यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर पर आधारित थे। चूंकि कार्यों का सम्पादन इलाहाबाद जिले में किया जाना था, अतः प्राक्कलन बनाने का आधार इलाहाबाद का यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर होना चाहिये था। हमने पाया कि लखनऊ के यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर की दरों की तुलना में इलाहाबाद एसओआर की दरें 11.25 प्रतिशत कम थीं। अतः गलत एसओआर लेने के कारण, कम्पनी द्वारा उप-ठेकेदारों को ₹ 1.74 करोड़²⁶ का अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त इन कार्यों पर कम्पनी द्वारा ₹ 0.22 करोड़²⁷ का अधिक सेन्टेज भारित किया गया जिसके कारण ग्राहक विभाग को उस सीमा तक हानि हुयी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि इलाहाबाद जिले का अद्यतन एसओआर उपलब्ध नहीं था, अतः प्राक्कलन लखनऊ एसओआर के आधार पर बनाया गया था तथा कार्यों को बाजार सर्वेक्षण में प्राप्त न्यूनतम दरों पर सम्पादित किया गया था।

प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दरों के निर्धारण हेतु कोई भी बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया था और कार्यों का सम्पादन लखनऊ के यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर की दरों पर बने प्राक्कलन पर किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्य का सम्पादन 2009–10 से 2011–12 के दौरान किया गया था जब 1 नवम्बर 2009 व 1 नवम्बर 2011 से लागू इलाहाबाद जिले के एसओआर उपलब्ध थे।

अनियमित रूप से अग्रिम प्रदान करना

2.19 कम्पनी को उत्तराखण्ड राज्य में इण्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के अन्तर्गत ₹ 131.38 करोड़ की स्वीकृत लागत के 4,435 आवासीय इकाइयों (डीयू) के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया था (जून 2010 से अगस्त 2010) जो कि इकाई-37, रुड़की द्वारा समिश्रित दरों पर सम्पादित किया जा रहा था।

मैनुअल²⁸ यह प्रावधानित करता है कि इकाई प्रभारी, सामग्री पर उत्तराधिकार ग्रहण करने हेतु औपचारिक अनुबन्ध सम्पादित करने के उपरान्त, उप-ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री के वर्तमान मूल्य के 75 प्रतिशत तक अग्रिम अवमुक्त कर सकता है।

²⁵ ₹ 6.13 करोड़ x 12.5 प्रतिशत = ₹ 0.77 करोड़।

²⁶ लेखा परीक्षा विश्लेषण के अनुसार, इलाहाबाद जिले के यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर के आधार पर कार्यों की लागत ₹ 12.87 लाख प्रति सचिवालय थी। अतः एक सचिवालय में ₹ 1.85 लाख (₹ 14.72 लाख – ₹ 12.87 लाख) का अधिक व्यय हुआ जिसमें ₹ 0.21 लाख सेन्टेज सम्मिलित था। 106 इकाइयों में उप-ठेकेदारों को अधिक भुगतान ₹ 1.74 करोड़ था [(₹ 1.85 लाख – ₹ 0.21 लाख) x 106]।

²⁷ ₹ 0.22 करोड़ = ₹ 0.21 लाख x 106।

²⁸ प्रस्तर 553, 557, 558 व 559।

यह पुनः प्रावधानित करता है कि अतिआवश्यक प्रकरणों में, जहाँ उप-ठेकेदार को धन की आवश्यकता हो किन्तु मापित मात्रा का बिल तैयार न किया जा सके, इकाई प्रभारी किये गये कार्य की मात्रा का आंकलन व निर्धारण करने व इस आंकलन के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर के पश्चात्, उप-ठेकेदार को अग्रिम अवमुक्त कर सकता है। इस प्रकार के अमापित अग्रिम भुगतानों की मात्रा एक मापित भुगतान के सापेक्ष दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हमने निम्न अनियमिततायें देखीं:-

- वर्ष 2010–11 के दौरान, इकाई ने 4,435 डीयू के निर्माण का कार्य 18 उप-ठेकेदारों को, 22 कार्यादेश (सान्या कन्सट्रक्शन) से लेकर 70 कार्यादेश (सुनील इण्टरप्राइजेज) प्रति ठेकेदार, के माध्यम से दिया था। वास्तविक सम्पादित कार्य का विस्तृत माप करने के बजाय कार्य का माप प्रतिशत आधार पर अर्थात् कुल कार्य की तुलना में पूर्ण किये गये कार्य के अनुपात के रूप में किया गया था।
- कम्पनी ने परियोजना प्रबन्धकों के कार्यादेश (मात्र श्रमिक दरों हेतु) निर्गत करने की वित्तीय सीमा ₹ 10 लाख निर्धारित की थी (फरवरी 2009)। किन्तु एक ही दिन एक उप-ठेकेदार को अनेक कार्यादेश (सम्मिश्रित कार्यों हेतु) निर्गत किये गये थे। इस प्रकार कार्यों का विभाजन कर कार्यादेशों को निर्धारित सीमा के अन्दर रखा गया था। कुछ प्रकरण नीचे दिये गये हैं:

| k; k | ; k 2-2

	ftys dk uke	mi &Bdnkj dk uke	dk; khs k fux;k djus dhl frffk dhl ; k	fux;k dk; khs k dhl ; k	Mh; ; dhl ; ; k ftuds fy; s dk; khs k fux;k fd; s x; s	dk; khs k ds el; dhl ; hek ₹ yklk ;	dk; khs k dk dy el;
अल्मोड़ा	सान्या कन्सट्रक्शन	24.10.2010 16.01.2011	13 9		35 25	3.30 to 9.90 3.30 to 9.90	1.16 0.83
हल्द्वानी	सुनील इण्टरप्राइजेज	22.02.2011 05.03.2011 18.03.2011	38 22 10		75 44 20	3.30 to 6.60 3.30 to 6.60 3.30 to 6.60	2.48 1.45 0.66
	dy		92		199		6.58

, d mi Bdnkj
dls , d gh fnu
es okLrfod dk; l
dk el; kdu fd; s
fcuk vudl vfixe
voepr fd; s x; s
FKA

- वर्ष 2011–12 के दौरान इकाई द्वारा 17 उप-ठेकेदारों को वास्तविक कार्य की माप अथवा उप-ठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री का आंकलन किये बिना मात्र उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर अग्रिम अवमुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त अग्रिमों को माप-पुस्तिका में अभिलिखित नहीं किया गया था एवं उनका समायोजन लम्बित था (दिसम्बर 2013)। हालांकि आईएचएसडीपी के कार्यों को अन्य इकाइयों द्वारा भी सम्पादित किया जा रहा था किन्तु यह अनियमितता अन्य इकाइयों में नहीं पायी गयी।
- कम्पनी के हित की रक्षा करने हेतु समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी प्राप्त नहीं की गयी थी।
- इकाई ने उप-ठेकेदारों को पूर्व अग्रिमों का समायोजन किये बिना ₹ 58.35 लाख से ₹ 15.55 करोड़ के मध्य के अनेक अग्रिम अवमुक्त किये जो अनियमित था।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2013) कि इकाई के परियोजना प्रबन्धक एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ कर दी गई है। उसने पुनः कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इकाई द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन कर अग्रिमों के समायोजन हेतु एक समिति का गठन कर दिया गया था (जुलाई 2013)।

अनियमित भुगतान

2.20 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने कम्पनी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालयों में निर्माण, उच्चीकरण तथा अन्य विकास कार्य, जिसमें आधुनिक शल्य चिकित्सा कक्ष (एमओटी) की स्थापना का कार्य सम्मिलित था, प्रदान (सितम्बर 2009) किया।

कम्पनी ने उत्तर प्रदेश के 36 जिला चिकित्सालयों में एमओटी की आपूर्ती, अधिष्ठापना व प्रवर्तन हेतु सर्जिकॉन मेडीकवीप प्राइवेट लिमिटेड (सप्लायर) के साथ एक अनुबन्ध (अप्रैल

2010) किया। कार्य को अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पूर्ण करना था। अनुबन्ध के अनुसार, सप्लायर को, आपूर्ति सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान किया जाना था। सप्लायर को उसके द्वारा 36 जिला चिकित्सालयों में आपूर्ति सामग्री के सापेक्ष कम्पनी द्वारा ₹ 17.55 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था।

dEi uh }jkj vuqcllk
ds mYyku es
I lyk; j dks mi yC/k
djk; h x; h I kexh
ds eV; ds 75
i fr kr I s ₹ 96.77
yk[k dk vf/kd
Hkrku fd; k x; kA

हमने देखा की 23 जिला चिकित्सालयों के प्रकरण में, सप्लायर को सामग्री की लागत के 75 प्रतिशत से अधिक ₹ 96.77 लाख का भुगतान किया गया था जबकि शेष 13 जिला चिकित्सालयों के प्रकरण में, अग्रिम भुगतान की राशि आपूर्ति सामग्री की लागत के 75 प्रतिशत की सीमा के अन्दर थी। सप्लायर को प्रदान किये गये ₹ 96.77 लाख के अधिक भुगतान का समायोजन केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो (सीबीआई)²⁹ द्वारा जाँच (नवम्बर 2011) प्रारम्भ किये जाने के कारण अभी नहीं हो पाया था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि सामग्री की लागत के 75 प्रतिशत व उन पर लागू करों का 100 प्रतिशत भुगतान सप्लायर को किया गया था, अतः कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुबन्ध के अनुसार सप्लायर के अग्रिम भुगतान को बीजक धनराशि के 75 प्रतिशत अथवा कार्य की मात्रा (बीओक्यू) की दर के 75 प्रतिशत, दोनों में जो कम हो, की सीमा तक सीमित किया जाना था तथा बीजक धनराशि/बीओक्यू दरों में सभी प्रकार के कर समिलित थे। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध में करों के 100 प्रतिशत भुगतान हेतु कोई भी प्रावधान नहीं था। अतः करों के रूप में 75 प्रतिशत की सीमा से अधिक का भुगतान अनियमित था।

मोबिलाइजे न अग्रिम को अविवेकपूर्ण रूप से अवमुक्त करना

2.21 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने कम्पनी को ₹ 64.19 करोड़ के स्वीकृत लागत पर चौदहार, कटक, ओडिशा में ईएसआईसी चिकित्सालय के फेस लिफिटंग/नवीनीकरण का कार्य लागत पर सेन्टेज के आधार पर प्रदान किया जिसे कम्पनी ने ओमैक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमैक्स) को बैंक-टू-बैंक आधार पर ₹ 59.35 करोड़ की लागत पर उप-अनुबन्धित किया। ईएसआईसी के साथ कम्पनी द्वारा किये गये अनुबन्ध के नियम एवं शर्तें यह प्रावधानित करते थे कि ईएसआईसी द्वारा कम्पनी को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत का भुगतान बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के पश्चात किया जायेगा। ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम उपलब्ध कराने हेतु समान प्रावधान कम्पनी द्वारा ओमैक्स के साथ किये गये अनुबन्ध में भी समिलित किया गया था।

कम्पनी ने बैंक गारण्टी के विरुद्ध ईएसआईसी से ₹ 6.41 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त किया (जुलाई 2009) तथा बैंक गारण्टी के विरुद्ध ₹ 5.91 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम ओमैक्स को अवमुक्त किया (जुलाई 2009)।

ईएसआईसी के साथ सम्पादित अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, चिकित्सालयों के नवीनीकरण हेतु आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने का दायित्व ईएसआईसी का था। चूँकि कार्यस्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के प्रतिबन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत आता था, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एएसआई से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किया जाना था। एएसआई द्वारा एनओसी प्रदान न किए जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप ओमैक्स के साथ सम्पादित अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया (अप्रैल 2011) तथा उसे प्रदत्त मोबिलाइजेशन अग्रिम वापस ले लिया गया (अप्रैल 2011)। कम्पनी ने भी ईएसआईसी से प्राप्त ₹ 6.41 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम वापस कर दिया (अप्रैल 2011)।

हमने देखा कि कम्पनी ने, इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि तुरन्त कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं था, ईएसआईसी से पूर्ण मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त किया और उसे ओमैक्स को अवमुक्त कर दिया। कार्य प्रारम्भ न होने के कारण मोबिलाइजेशन अग्रिम का

, , l vkbz l s , uvld h
i klr fd; sfcuk
efcykbtksu vfxe
voepr dj mi &
Bdnkj dks ₹ 98.50
yk[k dk vufoor ykk
fn; k x; kA

²⁹ एनआरएचएम कार्यों पर हमारा प्रेक्षण, कम्पनी द्वारा सप्लायर को अनियमित रूप से भुगतान किये गये अग्रिम तक ही सीमित है। आगे का परीक्षण नहीं किया जा सका चूँकि सीबीआई द्वारा एनआरएचएम कार्यों पर जाँच जारी है तथा कार्यों से सम्बन्धित मूल अभिलेख सीबीआई के अधिकार में है।

उद्देश्य ही समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त अवमुक्त ब्याज मुक्त अग्रिम पर ओमैक्स को ब्याज की आय के रूप में ₹ 98.50³⁰ लाख का अनुचित लाभ भी हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि एएसआई से एनओसी प्राप्त करने का दायित्व ईएसआईसी का था तथा कम्पनी ने कार्य के समयबद्ध सम्पादन के दृष्टिगत ओमैक्स को अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुरूप मोबिलाइजेशन अग्रिम निर्गत किया।

तथ्य बना रहता है कि कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति/समाशोधन प्राप्त करने से पूर्व, जो कि कार्य प्रारम्भ करने हेतु एक पूर्व आवश्यकता³¹ थी, मोबिलाइजेशन अग्रिम स्वीकृत करना अनियमित था तथा उप-ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करने के समान था।

I kex॥ dk Ø;

2.22 कार्यों के सम्पादन में मितव्यिता लाने हेतु गुणवत्तापूर्ण सामग्री का न्यूनतम दरों पर क्रय अत्यन्त आवश्यक है।

मैनुअल के अनुसार, कम्पनी को सीधे सामग्री खदानों व निर्माताओं से क्रय करनी चाहिये तथा कार्यों का सम्पादन पीस रेट कर्मियों (पीआरडब्ल्यू) के माध्यम से करना चाहिए। कम्पनी की आवश्यकतानुसार, सामग्री की आपूर्ति व पीआरडब्ल्यू को कार्य प्रदान करने हेतु दरों का निर्धारण क्रय समिति (पीसी) द्वारा किया जाता है। एक ही जिले में स्थित³² इकाईयों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु अंचल स्तर पर महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में एक संयुक्त क्रय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाना चाहिए।

कम्पनी ने मात्र उन कार्यों हेतु सामग्री क्रय की जिनका सम्पादन विभागीय पद्धति³³ से किया गया था। हमने पाया कि कम्पनी ने दरों के निर्धारण हेतु महाप्रबन्धक स्तर पर किसी जेपीसी का गठन नहीं किया था तथा एक ही जिले में स्थित इकाईयों के सम्बन्ध में भी इकाई स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा ही दरों का निर्धारण किया गया था।

सामग्री का उच्च दरों पर क्रय

2.23 परियोजनाओं के सम्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं मितव्यिता लाने हेतु महत्वपूर्ण घटकों जैसे सीमेंट का क्रय अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) व उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल) द्वारा सीमेंट क्रय हेतु निर्माताओं से दर अनुबन्ध सम्पादित किए जाते हैं।

हमने देखा कि कम्पनी में दर अनुबन्ध के आधार पर सीमेंट क्रय हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप समान अवधि में यूपीआरएनएन की सीमेंट क्रय की दरों की तुलना में कम्पनी की सीमेंट क्रय की दरें उच्चतर थीं।

इस तथ्य का उल्लेख 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर संख्या 3.3 में किया गया था जहाँ यह इंगित किया गया था कि कम्पनी की तीन इकाईयों³⁴ ने दर अनुबन्ध सम्पादित करने के बजाय स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से सीमेंट क्रय किया तथा ₹ 0.57 करोड़ का अधिक व्यय किया। हमने पुनः देखा कि कम्पनी की दो इकाईयों (इकाई-11, फैजाबाद व इकाई-8, लखनऊ) ने 2009–10 से 2010–11 की अवधि के दौरान 1,18,236 सीमेंट की बोरियाँ ₹ 235 से ₹ 318 प्रति बोरी की दर से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से क्रय समिति आख्या (पीसीआर) के आधार पर क्रय की; जबकि उसी अवधि के दौरान यूपीआरएनएन ने सीमेंट का क्रय अनुबन्धित दरों ₹ 195 से ₹ 275 प्रति बोरी की दर से किया था। कम्पनी द्वारा दर

³⁰ 10 प्रतिशत (लघु अवधि के सावधि जमा पर ब्याज दर) प्रतिवर्ष की दर से ₹ 5.91 करोड़ पर 20 माह (जुलाई 2009 से अप्रैल 2011 तक) हेतु संगणित।

³¹ मैनुअल का प्रस्तर 486।

³² इकाई स्तर पर गठित क्रय समिति में (1) इकाई प्रभारी (2) इकाई का वरिष्ठतम लेखाकार एवं (3) सम्बन्धित स्थानिक अभियन्ता अथवा सहायक स्थानिक अभियन्ता।

³³ विभागीय पद्धति से कार्यों का सम्पादन का आशय उस पद्धति से है जिसमें आवश्यक सामग्री कम्पनी द्वारा क्रय की जाती है तथा श्रमिकों की व्यवस्था पीस रेट कर्मियों (पीआरडब्ल्यू) के माध्यम से की जाती है।

³⁴ इकाई-13 लखनऊ, इकाई-14 लखनऊ तथा इकाई-17 लखनऊ।

अनुबन्ध कर सीमेंट क्रय करने से ₹ 54.04 लाख के आधिक व्यय को रोका जा सकता था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि यूपीआरएनएन व यूपीएसबीसीएल द्वारा बड़े कार्यों का सम्पादन किया जाता है जिनमें बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता एक स्थान पर होती है, अतः इन कार्यों हेतु दर अनुबन्ध सम्पादित किये जा सकते थे। दूसरी ओर कम्पनी अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अपेक्षाकृत छोटे कार्यों का सम्पादन करती है इसलिये दर अनुबन्ध करना व्यवहारिक नहीं था क्योंकि एक स्थान पर आपूर्ति लेने तथा अन्य कार्यस्थलों पर निर्गत करने में परिवहन, सुरक्षा व भण्डारण पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता।

चूंकि कम्पनी छोटे एवं बड़े कार्य दोनों ही सम्पादित करती हैं इसलिए बड़े कार्यों हेतु दर अनुबन्ध सम्पादित किया जाना चाहिए था। नमूना जाँच के दौरान लेखा परीक्षा में देखा गया कि कम्पनी द्वारा सम्पादित 12 बड़े कार्यों³⁵ के प्रकरण में भी दर अनुबन्ध के सम्पादन का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री क्रय करने पर रायल्टी की वसूली न किया जाना

2.24 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के आदेशानुसार³⁶ कम्पनी को मिट्टी, मौरंग एवं गिट्टी पर रायल्टी भुगतान के समर्थन में आपूर्तिकर्ताओं से फार्म एमएम-11 प्राप्त करना अपेक्षित था। यदि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी थी तो उनके बीजकों से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। हमने देखा कि कम्पनी की छ: इकाईयों³⁷ ने आपूर्तिकर्ताओं से न तो रसीद प्राप्त की और न ही ₹ 14.69 लाख की रायल्टी की कटौती की जिसके कारण आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ के अतिरिक्त राजकोष को हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि छोटे कार्यों के प्रकरण में, सीधे खदानों से सामग्री क्रय करना व्यवहारिक नहीं था अतः इन्हे स्थानीय बाजार से क्रय किया गया जहाँ एमएम-11 नहीं प्रदान किये गये थे।

हमने लेखा परीक्षा में देखा कि कम्पनी ने बड़े कार्यों³⁸ हेतु सामग्री खरीद में भी फार्म एमएम-11 प्राप्त नहीं किया था।

व्यापक जांच की वसूली

2.25 श्रमशक्ति नियोजन में एक संस्था के मानव संसाधन का पर्याप्त एवं कुशल अनुप्रयोग तथा विशिष्ट कार्य की आवश्यकतानुसार योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति समिलित होती है।

कम्पनी के स्वीकृत पद तथा उपलब्ध श्रमशक्ति नीचे सारणी में उल्लिखित हैं :

| k. | ; k 23

	Lohdr in 1/31 ekpl 2013 dk	mi yCk Je'kDr i frfu; Dr ij	dEi uh dk LVQ	dky	kfrfu; Dr ij	vf/kd LVQ dEi uh dk LVQ
अधीक्षण अभियंता (जीएम)	03	02	08	10	02	05
अधिशासी अभियंता (पीएम)	10	12	20	32	12	10
सहायक अभियंता (एपीएम / आरई)	32	24	49	73	24	17
कनिष्ठ अभियंता (एआरई)	78	35	30	65	-	-

- जैसा कि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है, उपलब्ध श्रमशक्ति, स्वीकृत पदों की तुलना में कहीं अधिक थी। यद्यपि 92 प्रतिशत पूर्ण कार्य तथा 94 प्रतिशत प्रगतिगत कार्य उप-ठेकेदारों को समिश्रित दरों पर कार्यादेश निर्गत कर के सम्पादित किये गये थे, कम्पनी ने श्रमशक्ति आवश्यकताओं का पुर्नआंकलन नहीं किया था।

³⁵ कार्यों का मूल्य ₹ 0.95 करोड़ (होमगार्ड हॉस्टल, लखनऊ) से ₹ 49.23 करोड़ (चार लेन सड़क, शारदा नगर, लखनऊ) के मध्य।

³⁶ आदेश संख्या 4020/77-5-2003-1(216)/93 दिनांक 12 अगस्त 2003।

³⁷ इकाई-1, सीतापुर; इकाई-8, लखनऊ; इकाई-11, फैजाबाद; इकाई-14, लखनऊ; इकाई-29, गोरखपुर व इकाई-37, रुड़की।

³⁸ कार्यों का मूल्य ₹ 0.83 करोड़ (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओरवारा, बस्ती) से ₹ 3.25 करोड़ (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डेरवा, बस्ती) के मध्य।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि स्वीकृत पदों की संख्या पुरानी थी तथा सात इकाइयों व दो अंचलों पर आधारित थी जबकि वर्तमान में 32 इकाइयाँ व नौ अंचल हैं।

यह तथ्य बना रहता है कि स्वीकृत पदों का अंतिम आंकलन 2006–07 में किया गया था तथा इकाईयों/अंचलों की संख्या में वृद्धि व अधिकांश कार्यों को उप-ठेके पर सम्पादित किये जाने के उपरान्त भी कोई पुर्णनिर्धारण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था जबकि कम्पनी का स्वयं का स्टाफ स्वीकृत क्षमता से अधिक था।

bdkb; k dse/;
dk; k dk v0; ofLkr
foHktu fd; k x; k
Flk pfld bdkb; k dks
71 fdeh l s 454
fdeh nj fLFkr dk; Z
vkofVr fd; s x; s FKA

- मैनुअल (प्रस्तर 17 बी) यह प्रावधानित करता है कि कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक लागत को ध्यान में रखते हुये कम्पनी हित में कार्यों को संगठित करेगा व विभिन्न इकाइयों के मध्य कार्यों के वितरण हेतु मापदण्ड अपनाएगा। हमने देखा कि उसी जिले में इकाई स्थित होने के बावजूद उस जिले के कार्य को कार्यस्थल से 71 किमी से 454 किमी दूर स्थित इकाइयों को आवंटित किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया था:

I kj.kh I f; k 2-4

dk; l dk uke	lkehij fLFkr bdkbZ ftI dks dk; Z ugft fn; k x; k	nj fLFkr bdkbZ ftI s dk; Z fn; k x; k	dk; Z l kfnr djus okyh bdkbZ o dk; Z LFky dse/; njh fdeh ek
वानिकी कॉलेज, कानपुर	कानपुर	नोएडा	454
सीएसए विश्वविद्यालय, कानपुर	कानपुर	नोएडा	454
आईटीआई भवन, रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ-8	77
सीएचसी, जतुआजापरा, रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ-8	77
महामाया आईटी पॉलिटेक्निक, रमाबाई नगर	रमाबाई नगर	लखनऊ-14	130
रुदौली अनावासीय भवन, बस्ती	बस्ती	फैजाबाद	71
आईएचएसडीपी, बस्ती	बस्ती	फैजाबाद	71
आईटीआई बस्ती में नवीनीकरण	बस्ती	फैजाबाद	71

अधिक स्टाफ की नियुक्ति व इकाईयों के मध्य अव्यवस्थित कार्यों का विभाजन यथोचित श्रमशक्ति नियोजन के अभाव और पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण की कमी का सूचक था। प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2013) कि इकाइयों के अधिकारक्षेत्र को अब परिभाषित कर दिया गया है।

foUkh; iCUku

2.26 कुशल निधि प्रबन्धन, उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं उचित समय पर अनुकूल शर्तों पर ऋण लेने सम्बन्धी, निर्णय लेने हेतु एक साधन है। कम्पनी के वित्त का मुख्य स्रोत, निक्षेप कार्यों के सम्पादन हेतु ग्राहकों से प्राप्त धन है। हमने ऊपर दिये गये उद्देश्यों और शासन/निदेशक मण्डल के निर्देशों/आदेशों के सापेक्ष कम्पनी द्वारा निधि प्रबन्धन की समीक्षा की और निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

2.27 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 व 619-बी के अन्तर्गत, कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। कम्पनी के वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लेखे अपूर्ण थे (सितम्बर 2013)। लेखाओं के अपूर्ण होने का मुख्य कारण इकाई स्तर पर मूल अभिलेखों जैसे लागत पत्र³⁹ का पूर्ण न होना था।

³⁹ लागत पत्र वह प्रपत्र है जो कम्पनी द्वारा सम्पादित विभिन्न कार्यों पर किये गये व्यय मदवार दर्शाता है।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

2.28 कम्पनी के वर्ष 2011–12 तक के पाँच वर्षों⁴⁰ की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम $\text{ifj}\text{f k'V\&12}$ में प्रस्तुत किये गये हैं तथा नीचे संक्षेपित किये गये हैं:

Lkj .k | f; k 25

foo.j.k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	(₹ करोड़ में) 2011-12
निवल मूल्य	24.55	55.57	74.49	42.50	51.92
कुल उपलब्ध कार्यों का मूल्य ⁴¹	995.65	1044.10	2079.59	2290.22	1872.39
कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य का मूल्य	450.00	450.00	750.00	1000.00	1100.00
सम्पादित किये गये कार्यों का मूल्य (वीओडब्ल्यूडी)	354.13	528.43	733.99	912.70	586.61
कुल उपलब्ध कार्यों के सापेक्ष वीओडब्ल्यूडी का प्रतिशत	35.57	50.61	35.30	39.85	31.33
कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वीओडब्ल्यूडी का प्रतिशत	78.70	117.43	97.87	91.27	53.33
आर्थिक चिट्ठे में हस्तान्तरित शुद्ध लाभ	15.11	31.01	18.59	17.93	9.73
बैंकों से प्राप्त ब्याज	13.13	26.22	3.72	3.94	3.73
सरकारी धन पर अर्जित ब्याज जिसे दायित्व माना गया	-	-	29.31	39.88	35.50
लाभ का प्रतिशत	4.27	5.87	2.53	1.96	1.66

ज्ञातः— कम्पनी की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की प्रगति आख्या व वार्षिक लेखे।

कम्पनी की आर्थिक स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम के हमारे विश्लेषण में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- जीओयूपी के आदेश (दिसम्बर 1993) के उल्लंघन में कम्पनी ने 2008–09 तक अप्रयुक्त सरकारी धन पर अर्जित ब्याज को, अपने आय के रूप में प्रकट किया। यद्यपि सीएजी के प्रेक्षण के क्रम में कम्पनी ने वर्ष 2009–10 से अपनी लेखांकन नीति में बदलाव करते हुये इस ब्याज की आय को दायित्व⁴² के रूप में प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया। कम्पनी के शुद्ध लाभ में, 2008–09 में ₹ 31.01 करोड़ से 2009–10 में ₹ 18.59 करोड़ की गिरावट का यह मुख्य कारण था।
- वर्ष 2010–11 में कम्पनी ने 2005–06 से 2008–09 के दौरान अप्रयुक्त सरकारी धन पर अर्जित ब्याज ₹ 49.90 करोड़⁴³, जिसे कम्पनी ने अपनी आय मान ली थी, को भी उलट दिया। परिणामस्वरूप, कम्पनी का निवल मूल्य 2009–10 में ₹ 74.49 करोड़ से घटकर वर्ष 2010–11 में ₹ 42.50 करोड़ रह गया।
- सम्पादित किये गये कार्यों के मूल्य के सापेक्ष शुद्ध लाभ का प्रतिशत 2007–08 में 4.27 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में 5.87 प्रतिशत हो गया परन्तु उसके बाद से वह निरन्तर घटा है। 2009–10 से जब कम्पनी ने ब्याज की आय को दायित्व मानना शुरू किया उसके पश्चात् से सम्पादित किये गये कार्यों के मूल्य के सापेक्ष शुद्ध लाभ का प्रतिशत घट गया। यह कार्यकलापों से प्राप्त वास्तविक लाभ में गिरावट के रूख को इंगित करता है।
- 2007–08 में कम्पनी के विविध देनदार ₹ 11.67 करोड़ थे जो वर्ष 2011–12 में घटकर ₹ 7.47 करोड़ रह गये। विविध देनदारों में कमी का कारण 2008–09 में ₹ 6.51 करोड़ की देनदारियों का अपलेखन था (प्रस्तर 2.33 में चर्चित)।

धन की आवधिक आव यक्ता का आंकलन न करना

2.29 कम्पनी निक्षेप कार्यों का सम्पादन, कार्यों की स्वीकृत लागत के सापेक्ष ग्राहकों से धन प्राप्त करने के उपरान्त करती है। ग्राहकों द्वारा धन कम्पनी के मुख्यालय अथवा कार्य

⁴⁰ वर्ष 2011–12 के आंकड़े अनन्तिम लेखों पर आधारित हैं।

⁴¹ वर्ष के प्रारम्भ में प्रगतिगत कार्य की स्वीकृति लागत प्लस वर्ष के दौरान प्राप्त कार्यों की स्वीकृत लागत।

⁴² जीओयूपी के आदेश (दिसम्बर 1993) के अनुसार अप्रयुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज को सरकार को वापस करना था अतः इस प्रकार की ब्याज की आय को कम्पनी ने दायित्व माना।

⁴³ 2005–06 – ₹ 2.52 करोड़, 2006–07 – ₹ 8.03 करोड़, 2007–08 – ₹ 13.13 करोड़ व 2008–09 – ₹ 26.22 करोड़।

सम्पादित कर रही इकाइयों को प्रदान किया जाता है। ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई धनराशि, धन की आवश्यकता के आंकलन के आधार पर या तो बैंक खातों में या सावधि जमा के रूप में रखी जाती है। वित्तीय विवेक यह अपेक्षित करता है कि अधिशेष धन का निवेश इस प्रकार हो कि धन की तरलता पर समझौता किये बगैर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके। निदेशक मण्डल ने निर्देशित किया (जून 2007) की कम्पनी में उपलब्ध वित्त का प्रबन्धन धन की आवधिक आवश्यकता का आंकलन करने के पश्चात् किया जाए ताकि कार्यों की प्रगति को बाधित किये बिना अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

2011-12 को समाप्त हुये गत पाँच वर्षों की 31 मार्च को उपलब्ध निधि की स्थिति निम्नलिखित थी:

Lkkj .kh | a[; k 2-6

(₹ djkm+e)

fooj .k	i R d o'k ch 31 ekpl dks mi yC/k /ku ch fLFkr				
	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12 \\u00fcrek
बचत खाते	64.84	127.41	266.54	221.70	245.70
चालू खाते	4.40	5.45	18.02	15.75	0.43
सावधि जमा (एफडी)	252.71	326.90	501.24	439.54	335.54
dy fu/fk	321.95	459.76	785.80	676.99	581.67
कुल निधि के सापेक्ष एफडी में निधि का प्रतिशत	78.49	71.10	63.79	64.92	57.69
कुल निधि के सापेक्ष बचत खातों में निधि का प्रतिशत	20.14	27.71	33.92	32.75	42.24
कुल निधि के सापेक्ष चालू खातों में निधि का प्रतिशत	1.37	1.19	2.29	2.33	0.07

स्रोतः सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के कम्पनी के आर्थिक विटरें

हमने देखा कि कम्पनी ने धन की आवधिक आवश्यकता को चिन्हित कर निवेश योग्य अधिशेष धन का आंकलन करने हेतु किसी भी प्रणाली का विकास नहीं किया है। परिणामस्वरूप कम्पनी इष्टतम रूप से धन का निवेश करने में विफल रही। उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने भारी धनराशि बचत खातों में रखी जो वर्ष 2007–08 में ₹ 64.84 करोड़ से बढ़कर 2009–10 में ₹ 266.54 करोड़ हो गयी व 2011–12 में मामूली रूप से घटकर ₹ 245.70 करोड़ रही। बचत/चालू खातों में भारी धनराशि रखने के कारण हर्ई ब्याज की हानि की चर्चा प्रस्तर 2.31 में की गई है।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि कम्पनी द्वारा प्राप्त धन को सावधि जमा/बचत खातों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि कार्यों की प्रगति प्रभावित न करते हुये अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में भारी धनराशि प्राप्त होती है अतः कुल धन के सापेक्ष सावधि जमा में निवेश किये गये धन का प्रतिशत सही रूप से प्रदर्शित नहीं होता है।

हमने तथापि लेखा परीक्षा में देखा कि प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में प्राप्त होने के चार से छः माह तक धन बचत खातों में रखा गया।

सरकारी धन पर ब्याज

2.30 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) का आदेश⁴⁴ (दिसम्बर 1993) अन्य बातों के साथ यह निर्दिष्ट करता है कि आहरित की गयी धनराशि जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उपयोग नहीं की जा सकी पर अर्जित ब्याज को सरकार के खाते में जमा किया जायेगा।

⁴⁴ संख्या -138411 / 44-2 / 93-98 / 93 दिनांक 4 दिसम्बर 1993।

vftř C; kt dk
foHkxokj@
dk; bkj fooj .k u
j [kus ds dkj .k
dEi uh LokF;
foHkx }kj k dh
x; h ₹ 1-62 dj kM+
dh euekuh
dV&h dk fojk/k
uglā dj | dhA

यह देखा गया कि 2005–06 से 2010–11⁴⁵ के कम्पनी के वार्षिक लेखों में अधिशेष सरकारी धन पर अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 119.09⁴⁶ करोड़ को दायित्व के रूप में दर्शाया गया था। परन्तु कम्पनी द्वारा अर्जित ब्याज का विभागवार अथवा कार्यवार विवरण नहीं रखा गया था। ब्याज का विभागवार अथवा कार्यवार विवरण एवं पृथक बैंक खातों के अभाव में कम्पनी के पास प्रत्येक ग्राहक विभाग को वापस की जाने वाली ब्याज की आय का कोई विवरण नहीं है। एक मामले के अध्ययन में हमने पाया कि स्वास्थ्य विभाग ने ₹ 5.79 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, कम्पनी द्वारा विभाग से पूर्व में प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ₹ 1.62 करोड़ की कटौती करते हुये मात्र ₹ 4.17 करोड़ की धनराशि निर्गत की (मई 2011)। विभागवार/कार्यवार ब्याज का विवरण न होने के कारण कम्पनी मनमानी कटौती का विरोध नहीं कर पायी तथा उसने इस कटौती को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया।

प्रबन्धन ने माना (सितम्बर 2013) कि उसके पास स्वास्थ्य विभाग के धन पर अर्जित वास्तविक ब्याज का विवरण नहीं था एवं उसने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान विभागवार/कार्यवार बैंक खाते नहीं रखे थे। प्रबन्धन ने पुनः कहा कि ₹ 1.62 करोड़ की कटौती का विवरण स्वास्थ्य विभाग से माँगा जा रहा है एवं अब विभागवार बैंक खाते खोले लिये गये हैं। यह तथ्य बना हुआ है कि अभी तक कार्यवार बैंक खाते नहीं खोले गये हैं।

फ्लैक्सी सुविधा का लाभ न लेना

2.31 बैंक बचत खातों पर न्यूनतम⁴⁷ ब्याज प्रदान करते हैं परन्तु ग्राहकों की माँग पर अपने बचत/चालू खातों में फ्लैक्सी सुविधा उपलब्ध कराते हैं जिनमें वे एक निर्धारित सीमा, जो अलग—अलग बैंकों में भिन्न हो सकती है, से अधिक की जमा धनराशि पर सावधि जमा पर देय ब्याज दरें प्रदान करते हैं।

हमने देखा कि 2009–10 व 2011–12 के मध्य बैंक खातों में ₹ 25 लाख से लेकर ₹ 11.51 करोड़ की शेष धनराशि उपलब्ध थी। इतनी विशाल धनराशि होने के बावजूद कम्पनी ने अपने खातों में बैंकों द्वारा दी जाने वाली फ्लैक्सी सुविधा नहीं ली थी तथा इसके परिणामस्वरूप कम्पनी 2009–10 से 2011–12 की अवधि के दौरान, लेखा परीक्षा में नमूना जाँचे गये 12 बैंक खातों के प्रकरण में, ₹ 67.17 लाख⁴⁸ का अतिरिक्त ब्याज⁴⁹ नहीं अर्जित कर सकी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि पहले सभी बैंकों में फ्लैक्सी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसने पुनः कहा कि अब सभी बैंक यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं अतः इस सुविधा को लेने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं (फरवरी 2012)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा में इंगित अवधि के दौरान इन सभी बैंकों⁵⁰ में फ्लैक्सी सुविधा उपलब्ध थी।

प्राप्त धन से अधिक ब्य

2.32 मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, निक्षेप कार्यों पर व्यय ग्राहकों से प्राप्त धनराशि तक सीमित किया जाना चाहिये। उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, कम्पनी को कार्यवार धन की उपलब्धता प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त नियन्त्रण अभिलेख रखने की आवश्यकता थी।

⁴⁵ वर्ष 2011–12 के लेखे अभी तक अन्तिमीकृत नहीं किये गये हैं।

⁴⁶ ₹ 49.90 करोड़ (2005–06 से 2008–09), ₹ 29.31 करोड़ (2009–10), ₹ 39.88 करोड़ (2010–11) निम्नलिखित सूत्र से संगणित किया गया — सरकारी धन पर ब्याज = कुल अर्जित ब्याज – [(अंश पूँजी + निर्बाध निधियाँ – अचल संपत्तियाँ) x वर्ष के दौरान सावधि जमा पर प्राप्त औसत ब्याज दर/100]

⁴⁷ अप्रैल 2010 तक 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एवं तत्पश्चात् 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

⁴⁸ अतिरिक्त ब्याज = (लोक-इन अवधि से अधिक समय तक बैंक खातों में रही न्यूनतम शेष धनराशि से अधिक की धनराशि x लागू ब्याज दर x अवधि जिसके लिये धनराशि बैंक खाते में रही/100) – वास्तविक अर्जित ब्याज।

⁴⁹ ₹ 24.43 लाख (2009–10), ₹ 29.10 लाख (2010–11) एवं ₹ 13.64 लाख (2011–12)।

⁵⁰ इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, कैनरा बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया।

कम्पनी ने इस तरह के नियन्त्रण अभिलेख⁵¹ नहीं रखे जिसके कारण कम्पनी के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे कि कार्यों पर व्यय को प्राप्त धन की सीमा तक सीमित रखा जा सके तथा इसके परिणामस्वरूप नीचे वर्णित अतिरिक्त व्यय हुये:

- मार्च 2012 को छ: इकाइयों⁵² में चल रहे 45 कार्यों पर, कम्पनी ने प्राप्त धन ₹ 73.97 करोड़ के विरुद्ध ₹ 104.11 करोड़ का व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के स्वयं के ₹ 30.14 करोड़ अवरुद्ध हो गये।
- 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान पूर्ण हुये 180 कार्यों में कम्पनी ने कुल ₹ 126.13 करोड़ की धनराशि प्राप्त की। इसमें से ₹ 112.12 करोड़ कार्य पर प्रत्यक्ष व्यय हेतु थे तथा शेष ₹ 14.01 करोड़ कम्पनी का सेन्टेज भाग था। कम्पनी ने ₹ 114.93 करोड़ का प्रत्यक्ष व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। यह अतिरिक्त व्यय ग्राहक विभाग से प्राप्त नहीं किया जा सका तथा कम्पनी को अपने सेन्टेज से वहन करना पड़ा जिससे उसकी स्वयं की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि अधिकतम कार्य स्वीकृत लागत के अन्दर ही पूर्ण कर लिये गये थे। चूँकि कम्पनी एक व्यवसायिक संगठन है अतः अपनी छवि को ध्यान में रखते हुये कुछ कार्यों पर उसे सेन्टेज से व्यय करना पड़ा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सेन्टेज से व्यय करने से न सिर्फ कम्पनी को प्रत्यक्ष नुकसान है बल्कि मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन भी है जो यह अपेक्षा करते हैं कि किसी कार्य पर व्यय उस कार्य पर ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि तक सीमित रखा जाये। यह उचित अभिलेखों के न रखने के कारण व्यय पर नियंत्रण के अभाव व सरकारी धन के वित्तीय प्रबन्धन की कमी को दर्शाता है।

अतिरिक्त व्यय को अपलिखित करना

2.33 कम्पनी ने 51 कार्यों⁵³ पर ग्राहकों के पूर्व अनुमोदन के बिना, प्राप्त धन/स्वीकृत लागत से ₹ 6.88 करोड़⁵⁴ का अधिक व्यय किया था। चूँकि कम्पनी अतिरिक्त व्यय की वसूली करने में विफल रही, अतः उसे वर्ष 2008–09 के दौरान ₹ 6.88 करोड़ में से ₹ 6.51 करोड़ के अशोध्य ऋण अपलिखित करने पड़े।

प्राप्त धन/स्वीकृत लागत से अधिक व्यय मैनुअल के प्रावधान⁵⁵ का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके अलावा पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य पर व्यय को प्राप्त धनराशि तक सीमित करने में विफलता अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की ओर इंगित करता है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

ग्राहकों को अव्यायित धनराशि की वापसी न करना।

2.34 मैनुअल (प्रस्तर 39) यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, ग्राहकों को कार्यों पर हुए कुल व्यय की सूचना देनी चाहिए तथा यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे उन्हें वापस किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि ₹ 73.75 करोड़ में स्वीकृत 129 कार्य ₹ 71.11 करोड़ में पूरे कर लिये गये थे परन्तु ₹ 2.64 करोड़ की शेष धनराशि, जो प्राप्त धनराशि के 1.5 प्रतिशत से 10.71 प्रतिशत थी ½ fff क'V&13½ ग्राहकों को वापस नहीं की गई थी।

⁵¹ वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड VI के प्रस्तर 511 व 512 के अनुसार, कार्यों का रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें स्वीकृत लागत, प्राप्त धनराशि एवं व्यय धनराशि के विवरण सम्मिलित होंगे।

⁵² इकाई-1 सीतापुर, इकाई-2 इलाहाबाद, इकाई-8 लखनऊ, इकाई-11 फैजाबाद, इकाई-14 लखनऊ एवं इकाई-29 गोरखपुर।

⁵³ कार्यों की प्रकृति:- नलकूप, मेड, मार्ग, नाली, नहर आदि का निर्माण कार्य।

⁵⁴ सिंचाई विभाग— ₹ 6.28 करोड़, अन्य विभाग — ₹ 0.60 करोड़।

⁵⁵ मैनुअल का प्रस्तर 39 यह प्रावधानित करता है कि कार्य पर व्यय ग्राहकों से प्राप्त धनराशि तक सीमित किया जाना चाहिए।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि अधिकतर कार्य अपूर्ण थे जिनमें बाद के वर्षों में भी व्यय किया गया है। कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात् बीजकों को अन्तिम रूप दिया जायेगा एवं किसी भी अधिशेष धनराशि को, सक्षम स्तर पर निर्णय लेने के पश्चात्, ग्राहकों को लौटा दिया जायेगा।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा में इंगित कार्य पूर्ण हो चुके हैं जिनमें अव्ययित धनराशि को लेखाबद्ध कर के कम्पनी के लाभ में समिलित किया जा चुका है।

dN fo! k'V jkpd ekeys

कीटना क्र अधिनियम 1968 का उल्लंघन

2.35 कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 13 एवं कीटनाशक नियम, 1971 के नियम 10(3ए)(i) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कीटनाशक के उपयोग से वाणिज्यिक कीट नियंत्रण का कार्य करने का इच्छुक है तो उसे अनुज्ञा अधिकारी से अनुज्ञाप्ति प्राप्त करनी होगी। अतः दीमकरोधी उपचार, विशेष प्रकृति का कार्य होने के कारण, अनुज्ञाप्ति धारक विशेषज्ञ फर्मों जिन्हें अपेक्षित निपुणता एवं अनुभव प्राप्त हो, द्वारा कराया जाना चाहिए।

हमने देखा कि 2007–08 से 2012–13 के दौरान कम्पनी की सात⁵⁶ इकाइयों ने, 41 कार्यों के प्रकरण में दीमकरोधी उपचार का कार्य वैध अनुज्ञाप्ति धारक विशेषज्ञ फर्मों से न कराकर सिविल कार्य कर रहे उप-ठेकेदारों को सौंप दिया तथा उन्हें ₹ 22.35 लाख का भुगतान किया। चूँकि उप-ठेकेदारों के पास वाणिज्यिक कीट नियंत्रण कार्य करने हेतु वैध अनुज्ञाप्ति प्राप्त नहीं था अतः वे यह कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं थे। हमने देखा कि कम्पनी की आगरा इकाई ने दीमकरोधी उपचार कार्य विशेषज्ञ फर्मों से ही कराया है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि उक्त कार्य को अनुज्ञाप्ति धारक फर्मों से ही कराने के निर्देश इकाइयों को निर्गत (सितम्बर 2013) कर दिये गये हैं।

तृतीय पक्ष सलाहकारों की नियुक्ति पर परिहार्य भुगतान

2.36 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) द्वारा अपनायी गयी सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, सामग्री परीक्षण शुल्क की कटौती उप-ठेकेदारों के बीजकों से की जाती है जिसके लिये अनुबन्धों में ही उनिवेत अनुच्छेद समिलित किया जाता है।

निर्माण एजेन्सियाँ ग्राहक विभागों के अनुरोध पर तृतीय पक्ष निरीक्षण की व्यवस्था भी करतीं हैं। चूँकि मैनुअल में तृतीय पक्ष सलाहकारों (टीपीसी) की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है एवं उनकी नियुक्ति पर शुल्क के रूप में अतिरिक्त व्यय होता है, अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि इन सलाहकारों की नियुक्ति ग्राहक विभागों के साथ हुए अनुबन्धों/एमओयू की शर्तों के अनुरूप ही हो तथा उनके शुल्क का भुगतान ग्राहक विभागों द्वारा ही किया जाए।

हमने देखा कि कम्पनी ने विभिन्न विभागों⁵⁷ के 80 कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कार्य की लागत का 0.3 प्रतिशत से लेकर एक प्रतिशत तक के शुल्क पर टीपीसी की नियुक्ति की तथा उस पर ₹ 1.15 करोड़ का व्यय किया।

अनुबन्धों में उपयुक्त अनुच्छेद के अभाव में टीपीसी के शुल्क पर व्यय ₹ 1.15 करोड़ की वसूली ग्राहक विभागों से नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि तृतीय पक्ष सलाहकारों की नियुक्ति अब रोक दी गयी है।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (सेस) को जमा न करना

2.37 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत नियोक्ता पर, किये गये निर्माण की लागत पर कम से कम एक प्रतिशत की दर से, उपकर भारित तथा एकत्र किया जायेगा।

⁵⁶ इकाई-1, सीतापुर; इकाई-5, गाजीयाबाद; इकाई-8, लखनऊ; इकाई-11, फैजाबाद; इकाई-14, लखनऊ; इकाई-29, गोरखपुर; एवं इकाई-36, नोएडा।

⁵⁷ निम्नलिखित विभागों के निक्षेप कार्य: स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, राजस्व, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, गृह, खेल एवं युवा कल्याण, पंचायती राज, अल्यसंख्यक कल्याण एवं तकनीकी शिक्षा।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (नियम) यह प्रावधानित करते हैं कि जहाँ भारित उपकर किसी सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम के भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से सम्बन्धित हैं, वहाँ वह सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए गये बीजकों में से अधिसूचित दर से देय उपकर की कटौती करेगी अथवा कटौती करने हेतु आदेशित करेगी। अधिनियम की धारा-8 निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई नियोक्ता उपकर देने में विफल रहता है तो वह देय धनराशि पर प्रतिमाह या माह के भाग पर दो प्रतिशत की दर से, जिस दिन से धनराशि देय है से लेकर जब तक उस धनराशि का वास्तव में भुगतान नहीं हो जाता तब तक, ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

उक्त अधिनियम एवं नियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 को अधिसूचित (फरवरी 2009) करने के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में लागू (फरवरी 2009⁵⁸) किये गये थे। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (कल्याण बोर्ड) का गठन (नवम्बर 2009⁵⁹) भी किया।

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया (फरवरी 2010⁶⁰) कि उपकर की धनराशि की बीजकों से कटौती एवं कल्याण बोर्ड में उसको जमा उसी प्रकार किया जाएगा जैसे आयकर की स्रोत पर कटौती की जाती है।

कम्पनी द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन दो तरीकों से किया जाता है:

- उप-ठेकेदारों के माध्यम से।
- बिना ठेकेदारों के अर्थात् स्वयं ही आवश्यक सामग्री क्रय कर के तथा आवश्यक श्रमिकों की व्यवस्था कर के।

दोनों ही परिस्थितियों में यह कम्पनी का उत्तरदायित्व था कि वह उपकर, कल्याण बोर्ड में जमा करे तथा जहाँ लागू हो ठेकेदारों के बीजकों से उसकी कटौती करे।

हमने देखा कि कम्पनी ने अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर ₹ 934.13 करोड़ (₹ 425.83 करोड़ विभागीय पद्धति से एवं ₹ 508.30 करोड़ उप-ठेकेदारों के माध्यम से) का व्यय किया परन्तु ₹ 9.34 करोड़ का उपकर जमा नहीं किया (₹ 4.26 करोड़ विभागीय पद्धति से सम्पादित कार्यों पर एवं ₹ 5.08 करोड़ उप-ठेकेदारों के माध्यम से सम्पादित कार्यों पर)। कम्पनी की उपकर की धनराशि जमा करने में विफलता से अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो पाया एवं इसके परिणामस्वरूप कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि नहीं हो पायी। इसके अतिरिक्त कम्पनी व्यतिक्रमित (डिफॉल्टेड) धनराशि पर ब्याज व जुर्माना देने हेतु भी उत्तरदायी हो गई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि पुराने कार्यों के प्रावधान में श्रम उपकर का प्रावधान नहीं किया गया था अतः उपकर नहीं जमा किया जा सका। उसने पुनः कहा कि वर्तमान में उपकर का प्रावधान किया जा रहा है तथा सभी कार्यों में उपकर जमा किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी, फरवरी 2009 से अधिनियम का अनुपालन करने के लिए बाध्य थी।

व्यवस्थाएँ एवं उपकरणों की विवरण

2-38 आन्तरिक नियन्त्रण एक प्रक्रिया है जिसकी अभिकल्पना कुशल एवं प्रभावी रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परिचालन में दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के प्रति यथोचित आश्वासन प्रदान करने के लिए की जाती है।

⁵⁸ अधिसूचना संख्या 143/36-2-2009-251 (एसएम) / 95 दिनांक 4 फरवरी 2009।

⁵⁹ अधिसूचना संख्या 1411/36-2-2009-251 (एसएम) / 95 दिनांक 20 नवम्बर 2009।

⁶⁰ आदेश संख्या-392/36-2/2010 दिनांक 26 फरवरी 2010।

ग्रुल अभिलेखों का अनुचित रखरखाव

2-39 वित्तीय हस्त पुस्तिका (प्रस्तर 434) एवं मैनुअल (प्रस्तर 492) यह प्रावधानित करते हैं कि कराये गये समस्त कार्य, जिन्हें मापित किया जा सके एवं समस्त आपूर्तियों हेतु भुगतान, माप पुस्तिकाओं (एमबी) में दर्ज की गयी माप के अनुसार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैनुअल (प्रस्तर 161) यह निर्दिष्ट करता है कि इकाई प्रभारी द्वारा इकाई में समस्त कार्यों हेतु, कार्य की समाप्ति पर एवं प्रत्येक वर्ष के अन्त में, सामग्री उपभोग प्रपत्र (एमसीएस) बनाया जायेगा।

dEi uh }jk , ech
dh vuʃef.kdk
ugħa cukbż x; h rFk
dk; Z dh I ekflr ij
I kexd mi Hkox ii=
ugħa cuk; k x; k
FKA

हमने देखा कि कम्पनी ने बिना एमबी की अनुक्रमणिका⁶¹ बनाये एक कार्य की मापों को कई एमबी में दर्ज किया। इसके अतिरिक्त कार्य रजिस्टर⁶² (प्रत्येक कार्य पर धन की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण रखने हेतु) नहीं बनाये गये। इस प्रकार एक कार्य की माप को नौ से लेकर 21 एमबी में दर्ज करने से तथा इकाई द्वारा बनाये गये किसी सारांश, जिसमें कार्य विशेष की माप की एमबी संख्या व पृष्ठ संख्या का विवरण हो, के अभाव में लेखा परीक्षा में प्राक्कलनों के सापेक्ष सम्पादित कार्यों का सम्पूर्ण परीक्षण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त उपरोक्त कारणों से आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के निम्नलिखित आवश्यक घटकों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका।

- वास्तविक सम्पादित कार्य की कुल मात्रा की तुलना प्राक्कलन में दी गयी बिल की मात्रा से नहीं की जा सकी।
- कम्पनी द्वारा कार्य के समाप्त व वर्ष के अन्त में सामग्री उपभोग प्रपत्र, जो मैनुअल⁶³ के अनुसार आवश्यक है, नहीं बनाया जा सका।
- दोहरे भुगतान के प्रकरणों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता।
- एमबी के रखरखाव में कमियों के कारण एमबी में हेरफेर की सम्भावना हो सकती है।

हमने देखा कि मात्र इकाई-4, आगरा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंकोला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिचपुरी, कार्यालय अपर निदेशक, स्वास्थ्य, आगरा एवं जिला महिला चिकित्सालय के कार्यों में माप दर्ज करने हेतु अलग-अलग एमबी⁶⁴ बनाई थी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि बड़े कार्यों हेतु पृथक एमबी रखने तथा उनमें कार्य के अन्त में उपभोग की गई सामग्री का विवरण दर्ज करने हेतु इकाइयों को अब निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2-40 हमने देखा कि कम्पनी में प्रचलित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपर्याप्त एवं अप्रभावी थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को निम्नलिखित हानियाँ हुईं:

- सम्बन्धित जिलों के यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर की दरों से अधिक दरों को स्वीकृत करने के कारण उप-ठेकेदारों को अधिक भुगतान।

½ iLrj 2-17½

- उप-ठेकेदारों को अनियमित अग्रिम अवमुक्त करना तथा उसकी वसूली न हो पाना।

½ iLrj 2-19½

- निर्माण में उपयोग की गई सामग्री पर रायलटी का भुगतान न होने के कारण राजकोष को हानि।

½ iLrj 2-24½

- कार्यों के सम्पादन पर सेन्टेज से व्यय।

½ iLrj 2-32½

- ग्राहकों से प्राप्त धन से अधिक व्यय होने के कारण अशोध्य ऋणों का सृजन व उनका अपलेखन।

½ iLrj 2-33½

⁶¹ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 435 (जी) में अपेक्षित।

⁶² वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 511 व 512 में अपेक्षित।

⁶³ प्रस्तर 160, 166, 169।

⁶⁴ एमबी संख्या 6634 कार्यों की माप हेतु व एमबी संख्या 6628 भुगतान हेतु।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

2-41 कम्पनी के पास स्वयं का आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग नहीं है तथा उसने आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की फर्मों को सौंप रखा है। हमने देखा कि आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य मात्र 2010-11 तक ही हुआ है व तब से बकाया है। आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सामान्य प्रकृति के थे एवं उनमें किसी बड़ी अनियमितता का उल्लेख नहीं था।

fu'd'॥

यद्यपि कम्पनी की स्थापना सामान्य व सरकारी ठेकेदारों के रूप में व्यवसाय करने, कार्यों को प्राप्त करने हेतु निविदाएँ प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक प्रकृति के निर्माण कार्य सम्पन्न कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गयी थी, कम्पनी की कार्यकलापों की हमारी समीक्षा यह परिलक्षित करती है कि कम्पनी पूर्ण रूप से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सीधे प्रदान किये गये निक्षेप कार्यों पर निर्भर थी एवं कार्यों को प्राप्त करने हेतु निविदा में भाग नहीं लिया। हमारे द्वारा समीक्षित अवधि में मात्र 8 प्रतिशत पूर्ण कार्य कम्पनी के स्वयं के स्टाफ द्वारा सम्पादित किया गया जबकि शेष 92 प्रतिशत कार्य उप-ठेकेदारों के माध्यम से सम्पादित कराये गये थे।

कार्यों के सम्पादन में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने, नियत प्रक्रिया की अवहेलना करने, गलत प्राक्कलन तैयार करने एवं उप-ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने सम्बन्धित अनियमिततायें देखीं गयीं। कम्पनी ने पूर्व अग्रिमों के समायोजन किये बिना व बैंक गारण्टी प्राप्त किये बिना उप-ठेकेदारों को ब्याज मुक्त अग्रिम अवमुक्त किये। वार्स्टविक श्रमशक्ति, स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक थी। सीमेंट का क्रय दर अनुबन्ध गठित करने के बजाय स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से उच्च दरों पर किया गया था। वित्तीय प्रबन्धन भी दोषपूर्ण पाया गया क्योंकि बहुत से कार्यों में व्यय प्राप्त धन से अधिक था। उपलब्ध अधिशेष धनराशि न्यायोचित रूप से विनियोजित नहीं की गयी थी। कम्पनी नियमित रूप से श्रम उपकर जमा करने में विफल रही थी एवं स्वयं को अर्थदण्ड के भुगतान हेतु उत्तरदायी बना लिया था। वित्तीय प्रबन्धन कार्यों के सम्पादन एवं सामग्री क्रय से सम्बन्धित आन्तरिक नियन्त्रण भी दोषपूर्ण पाये गये।

I लैरि; k

- कम्पनी को कार्यों के सम्पादन, वास्तुविदों की नियुक्ति तथा वास्तुविद् शुल्क के भुगतान में नियत प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए।
- उप-ठेकेदारों को अग्रिमों का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाना चाहिए।
- वित्तीय प्रबन्धन को सुप्रवाही करने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित करा जा सके कि कार्यों पर व्यय प्राप्त धन/स्वीकृत लागत से अधिक न हो एवं अधिकतम ब्याज प्राप्ति हेतु अधिशेष धनराशि का न्यायोचित रूप से विनियोग हो।
- कम्पनी को वित्तीय प्रबन्धन, कार्यों के सम्पादन, सामग्री के क्रय तथा आवश्यक नियन्त्रण अभिलेखों के रखरखाव से सम्बन्धित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए।